मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित,
वन भवन, ब्लाक-ए, प्रथम तल, तुलसी नगर
भोपाल - 462003
दूरभाष- 2674349, 22760585 फैक्स - 2552628
e-mail : mpmfpit@gmail.com
www.mfpfederation.org

निविदा सूचना क्रमांक ते.प.(2026)-**III** दिनांक 31-07-2026

मध्यप्रदेश में वर्ष 2025 एवं 2026 में विभागीय संग्रहित एवं गोदामीकृत तथा संग्रहण वर्ष 2025 के क्रेता करारनामा समाप्त तेंदूपत्ते के विक्रय हेतु ऑनलाइन निविदा सूचना

प्राक्कथन

चूंकि मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल (जिसे इसके पश्चात् संघ कहा गया है) ने राज्य शासन के आदेशानुसार शासकीय भूमियों, वनों तथा निजी भूमियों से विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा लाये गये तेंदूपत्ते को विभिन्न संग्रहण केन्द्रों (फड़ों) पर संग्रहित / क्रय किया है तथा उसे उपचार उपरांत बोरों में भरकर राज्य में विभिन्न स्थानों पर गोदामों में भंडारित किया है ।

अतएव अब संघ मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा उनकी ओर से उक्त तेंदूपत्ते के क्रय के लिए इच्छुक व्यक्तियों/पंजीकृत फर्मों / विधिक कंपनियों से आनलाईन निविदाएं आमंत्रित करता है ।

2. परिभाषायें, निविदा के निबंधन एवं शर्तें निविदाकार के लिए निर्देश -

परिशिष्ट-I (निबंधन एवं शर्तें)

इस सूचना, इसकी अनुसूची एवं इसके विभिन्न परिशिष्टों में प्रयोग में लाये गये विभिन्न शब्दों एवं अभिव्यक्तियों की परिभाषायें, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो परिशिष्ट-I में सम्मिलित "निविदा के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकार के लिए निर्देश", में दिए गए अनुसार होंगी । ये "निविदा के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकार के लिए निर्देश" इस निविदा सूचना के अभिन्न अंग हैं और यह समझा जावेगा कि इस सूचना में समस्त प्रयोजनों के लिये सम्मिलित हैं ।

3. लाट लिस्ट एवं करार अवधि -

अनुसूची (तेंदूपत्ता की लाट सूची)

विभिन्न इकाईयों से संग्रहित एवं इस सूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित गोदामों में भण्डारित तेंदूपत्ते के लाटों के क्रय के लिये **दिनांक 28.02.2027** को समाप्त होने वाली करार अवधि के लिये एतद् द्वारा निविदायें आमंत्रित की जाती है ।

4. निविदा पत्र आदि -

परिशिष्ट-II (निविदा पत्र)
परिशिष्ट-III (निविदाकार करारनामा)

(I) निविदा पत्र (परिशिष्ट–II से संबंधित फार्म 1, 2 एवं 3) तथा निविदाकार का करारनामा (परिशिष्ट–III) मय परिशिष्टों के संघ की ऊपर दर्शित वेबसाइट अथवा ऑन लाइन पोर्टल https://mpmfpfedtendrs.abcprocure.com/EPROC/ से डाइनलोड किये जा सकते हैं।

(II) निविदाकार स्वयं यह सत्यापित एवं सुनिश्चित करेगा कि उसने निविदा पत्र के साथ निविदाकार का करारनामा प्रस्तुत कर दिया है क्योंकि निविदा के साथ सम्यक् रुप से निष्पादित निविदाकार का करारनामा संलग्न करना अनिवार्य है ।

5. निविदाओं का प्रस्तुतिकरण -

(I) उन सभी निविदाकारों को, जिन्हें स्थाई निविदाकार क्रमांक (पी.टी.एन.) म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा आवंटित किया गया है एवं इस स्थाई निविदाकार क्रमांक की सूचना उनको क्रेता नियुक्ति आदेश/सत्यंकार राशि वापसी पत्र के द्वारा दी गई थी, आवंटित स्थाई निविदाकार क्रमांक निविदा पत्र (परिशिष्ट II) के फार्म नंबर 1 के क्रमांक 1 में अंकित करना होगा । जिन निविदाकारों को स्थाई निविदाकार क्रमांक (पी.टी.एन.) आवंटित नहीं हुआ है, उनको स्थाई निविदाकार क्रमांक हेतु आवंटित स्थान पर आवंटित नहीं (Not Alloted) अंकित करना होगा ।

(II) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139A के अनुसार निविदाकार को स्थाई आयकर क्रमांक (PAN) एवं माल एवं सेवा कर (GST) के अन्तर्गत पंजीयन क्रमांक निविदा पत्र में (निर्धारित स्थान पर) अंकित करना एवं PAN कार्ड एवं माल एवं सेवा कर पंजीयन प्रमाण पत्र (GST Registration Certificate) की स्कैन (Scan) प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

निविदा पत्र में (निर्धारित स्थान पर) अंकित करना एवं PAN कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।

परिशिष्ट–XI (Instructions for the Submission ot the Online Tender)

(III) निविदाकारों को आनलाइन निविदायें भरने हेतु विस्तृत अनुदेश (परिशिष्ट XI) तथा विस्तरेंत Manual ई–प्रोक्यूरमेन्ट पोर्टल https://mpmfpfedtendrs.abcprocure.com/EPROC/ में उपलब्ध होगा तथा आनलाइन निविदायें Time Schedule (परिशिष्ट XII) में दर्शित दिनांक एवं समय के अनुसार प्रस्तुत की जावेंगी ।

6. निविदाओं का खोला जाना -

परिशिष्ट–XII (Time Schedule)

प्राप्त निविदायें Time Schedule (परिशिष्ट XII) में अंकित दिनांक एवं समय के अनुसार खोली जावेंगी ।

7. क्रेता करारनामा का निष्पादन -

परिशिष्ट–VIII (निविदाकारवार आवंटित लाटों की सूची)
परिशिष्ट–IX (सफल निविदाकारों की सूची)
परिशिष्ट–X (असफल निविदाकारों की सूची)
परिशिष्ट–IV (क्रेता का करारनामा)

(I) निविदा में लिये गये निर्णय अनुसार सफल निविदाकारों को आवंटित लाटों की सूची संघ की वेबसाईट पर परिशिष्ट–VIII में उपलब्ध रहेंगी। सफल निविदाकारों की सूची एवं असफल निविदाकारों की सूची संघ की वेबसाईट www.mfpfederation.org पर क्रमशः परिशिष्ट–IX एवं परिशिष्ट– X में उपलब्ध रहेंगी। सफल निविदाकार का प्रस्ताव E-mail एवं/अथवा पत्र जारी कर स्वीकार किया जावेगा और ऐसी स्वीकृति जारी होने पर सम्बंधित तेन्दूपत्ते के लाट के क्रय की संविदा निविदाकार और संघ के बीच अस्तित्व में आ गई मानी जावेगी एवं निविदाकार लाट का क्रेता माना जावेगा ।

(II) सफल निविदाकार को, उसके प्रस्ताव की संघ द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने के 30 दिन के अन्दर, प्रत्येक लाट के लिए परिशिष्ट (IV) (क्रेता का करारनामा) में दिये गये प्रपत्र में करारनामा संबंधित वन वृत्त के मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति के समक्ष निष्पादित करना होगा । निविदाकार के द्वारा ₹ 5000/- बतौर फीस एवं उस पर देय कर जमा किये जाने पर इस अवधि में वन वृत्त के मुख्य वन संरक्षक के द्वारा 7 दिन की वृद्धि की जा सकेगी । वन वृत्त के मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक हेतु निर्धारित 7 दिन की अवधि व्यतीत होने के उपरांत निविदाकार के द्वारा ₹ 5000/- बतौर फीस अतिरिक्त जमा किये जाने पर प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा 15 दिन का अतिरिक्त समय और दिया जा सकेगा । यदि क्रेता द्वारा वन वृत्त कार्यालय में 7 दिन की अवधि वृद्धि हेतु ₹ 5000/- बतौर फीस एवं उस पर देय कर नही जमा किये गये हैं, एवं उसके द्वारा उपरोक्तानुसार 15 दिवस की अतिरिक्त अवधि हेतु अनुरोध किया जाता है, तो उसे ₹ 10000/- रूपये बतौर फीस एवं उस पर देय कर जमा करना होगा । इस प्रकार 30वां दिन/7वां दिन/15वां दिन यदि सार्वजनिक अवकाश रहता है, तो करारनामा निष्पादन आगामी कार्य दिवस में किया जा सकेगा । 30 दिन/7 दिन/15 दिन की अवधि की गणना संघ

मुख्यालय / मुख्य वन संरक्षक कार्यालय से आदेश जारी होने की तिथि के आगामी दिन से की जावेगी ।

(III) ऐसे सफल निविदाकार को जो किसी एक ही जिला यूनियन के 4 या अधिक लाटों के लिये केता नियुक्त किया गया है और जो लाटवार परिदान लेने का इच्छुक है, उसके द्वारा किये गये आवेदन पर, मुख्य वन संरक्षक सभी ऐसे लाटों के लिये एकल करारनामा निष्पादित करने की अनुमति दे सकेंगे । ऐसे करारनामे के अन्तर्गत आने वाले समस्त लाटों का कुल क्रय मूल्य ऐसी एकल संविदा का क्रय मूल्य माना जायेगा और इस राशि का एक चौथाई भाग ऐसी संविदा की, नीचे दर्शाई गई तिथियों पर देय प्रत्येक किश्त की रकम होगी । प्रत्येक किश्त के पूर्ण भुगतान हो जाने पर परिदान लाटवार दिया जायेगा अर्थात केता की इच्छानुसार किसी विशिष्ट लाट/लाटों से उस मात्रा तक पत्ते का परिदान दिया जा सकेगा जिसका मूल्य वास्तव में किये गये क्रय मूल्य के भुगतान के बराबर हो । केता करारनामे तथा परिशिष्ट-**I** में इस संबंध में किया गया विस्तृत प्रावधान देखा जाये । करारनामे के किसी उल्लंघन के फलस्वरूप उसके समाप्त होने पर शेष लाट/लाटों के शेष पत्ते को बेचकर संघ को करारनामे के कुल क्रय मूल्य के संदर्भ में परिगणित हानि की राशि वसूल करने का अधिकार होगा ।

(IV) उपरोक्त कंडिका 7 (II) में दर्शित अवधि/अतिरिक्त अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात करारनामे के निष्पादन नहीं किये जाने की स्थिति में केता की नियुक्ति संबंधित मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक द्वारा निरस्त की जा सकेगी और ऐसे निरस्तीकरण पर सम्बंधित लाट के क्रय मूल्य के 8% की राशि सत्यंकार की राशि में से अधिहरण कर ली जायेगी और मुख्य वन संरक्षक द्वारा निविदाकार को ऐसी अवधि के लिये काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा जो 3 वर्ष तक हो सकती है । इसके अतिरिक्त यदि लाट/लाटों, जिनके लिये केता की नियुक्ति निरस्त की गई है, के पश्चात्वर्ती निर्वर्तन पर संघ को हुई हानि, यदि कोई हो, केता को वहन करनी होगी और यदि ऐसी हानि की रकम केता के द्वारा, उसको इस संबंध में जारी की गई मांग सूचना के 15 दिन के अन्दर, जमा नहीं की जाती है तो ऐसी हानि की राशि उससे केता करारनामे की शर्त क्रमांक 6(I) के अंतर्गत वसूल की जावेगी ।ऐसी हानि की राशि भू राजस्व के बकाया बतौर वसूली योग्य होगी, साथ ही राशि वसूली हेतु अन्य विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी । परन्तु यदि ऐसे पश्चात्वर्ती निर्वर्तन में क्रय मूल्य से अधिक राशि प्राप्त होती है तो केता का इस अधिक राशि पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा ।

8. देय राशि का भुगतान-

(अ) केता देय राशि का भुगतान, केता करारनामा के प्रावधानानुसार, चार बराबर किश्तों में निम्नांकित तिथियों को अथवा उनके पूर्व करेगा :-

किश्त क्रमांक	देय तिथियॉ
प्रथम	15.10.2026
द्वितीय	13.11.2026
तरृतीय	15.12.2026
चतुर्थ	15.01.2027

संघ द्वारा अधिसूचित तिथियों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है ।

(ब) **सम्पूर्ण क्रय मूल्य के भुगतान पर रिबेट -**

यदि केता द्वारा प्रथम किश्त की देय दिनांक तक किसी लाट का सम्पूर्ण क्रय मूल्य समस्त देय करों सहित भुगतान किया जाता है तो उसे क्रय मूल्य की राशि के 1% के बराबर राशि की छूट दी जावेगी । यदि केता इस सुविधा का लाभ उठाना चाहता है, तो वह सम्पूर्ण क्रय मूल्य की 99% राशि तथा सम्पूर्ण क्रय मूल्य (100%) पर समस्त देय करों की राशि का भुगतान करेगा । यदि प्रथम किश्त की देय तिथि को सार्वजनिक अवकाश रहता है तो इस उपकंडिका के प्रयोजन हेतु प्रथम किश्त की देय तिथि आगामी कार्य दिवस मानी जावेगी ।

9. **पत्तों का परिदान -**

किश्त/किश्तों के भुगतान के उपरांत पत्तों का परिदान परिशिष्ट-I एवं IV में दिये गये प्रावधानों के अनुसार होगा ।

10. **परिशिष्ट -**

परिशिष्ट-I से IV जिनका कि सन्दर्भ उपर दिया गया है जो की संघ की अधिसूचना के साथ संलग्न है, समस्त प्रयोजनों के लिये इस निविदा सूचना के परिशिष्ट है एवं उनको संदर्भ के लिये देखें । अतः निविदाकारों को सलाह दी जाती है, कि वे इस अधिसूचना के साथ संलग्न परिशिष्ट-I एवं IV को आगामी निविदाओं के उपयोग के लिये अपने पास सुरक्षित रखें ।

11. **निबंधनों एवं शर्तों का स्वीकार करना -**

इस निविदा के संदर्भ में निविदा प्रस्तुत करने के कार्य को निविदा सूचना की शर्तों तथा परिशिष्ट I में दिये गये निबंधनों एवं शर्तों की बिना शर्त अभिस्वीकृति समझा जावेगा ।

12 **हानि की राशि की गणना -**

केता करारनामा निष्पादन न किये जाने अथवा करारनामा समाप्त होने की दशा में हानि की राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी -

संबंधित निविदा/नीलाम से समस्त करों सहित संभावित प्राप्तियां (+) पुनः निर्वर्तन तक गोदाम, पर्यवेक्षण इत्यादि का व्यय (-) पश्चातवर्ती निविदा/नीलाम से समस्त करों सहित प्राप्तियां ।

(कमलिका मोहंता)
प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)
सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल- 462003

परिशिष्ट– I
निविदा के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकारों के लिए निर्देश जो निविदा सूचना दिनांक 31-07-2026 के भाग है

निविदा के निबंधन व शर्तें तथा निविदाकारों के लिए निर्देश और निविदा सूचना एवं उसकी अनुसूची व विभिन्न परिशिष्टों में प्रयोग में लाये गये शब्दों एवं अभिव्यक्तियों की परिभाषायें नीचे दिये अनुसार हैं । ये निविदा सूचना के अभिन्न अंग होंगे ।

1. **परिभाषाएं –**

इस अधिसूचना तथा इसके परिशिष्टों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो –

(i) ''**अधिनियम**'' से तात्पर्य तत्समय प्रवरैत मध्य प्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1964 (1964 का स. 29) से हैं ।

(ii) ''**अभिकर्त्ता**'' से तात्पर्य शासन द्वारा अधिनियम की धारा 4 के अंर्तगत नियुक्त अभिकर्त्ता से है।

(iii) ''**देय राशि**'' से तात्पर्य लाट के क्रय मूल्य तथा उस पर देय कर ब्याज आदि के योग से है, जो सफल निविदाकार को देनी होगी ।

(iv) ''**परिशिष्ट**'' से तात्पर्य निविदा सूचना के परिशिष्ट से है ।

(v) ''**बकाया**'' से अभिप्रेत है, निविदाकार के विरूद्ध बकाया ऐसी कोई राशि जो मध्य प्रदेश सरकार के वन विभाग अथवा **"संघ"** को शोध्य है और जिसकी सूचना निविदा प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तारीख के पूर्व वन विभाग अथवा संघ अथवा उनके पदाधिकारी द्वारा उसे पजीकरैत डाक/E-mail द्वारा भेजी गई हो,

(vi) ''**संग्रहणकाल**'' से तात्पर्य कैलेण्डर वर्ष की अप्रैल से जुलाई तक की अवधि से है,

(vii) '' **मुख्य वन संरक्षक**'' से तात्पर्य सम्बन्धित क्षेत्रीय वन वृत्त के प्रभार में रहने वाले मुख्य वन संरक्षक/ भार साधक अधिकारी से है, जो संघ के पदेन महाप्रबंधक भी घोषित है,

(viii) ''**जिला यूनियन**'' से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) के अधीन पंजीकृत कोई जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, जो संघ की सदस्य हो,

(ix) ''**वन मंडलाधिकारी**'' से तात्पर्य संबंधित सामान्य वन मण्डल के प्रभारी वन संरक्षक/वन मंडलाधिकारी/ भार साधक अधिकारी से हैं, जो संघ के संबंधित जिला यूनियन के प्रबंध संचालक भी घोषित हैं,

(x) ''**संघ**'' से तात्पर्य मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल से है ।

(xi) ''**शासन**'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन से है,

(xii) ''**लाट**'' से अभिप्रेत है, अनुसूची में वर्णित किसी प्राथमिक सहकारी समिति/वन विभाग द्वारा संग्रहित तेंदूपत्ता जो बोरों में भरकर एक या एक से अधिक गोदामों में गोदामीकृत किया गया है ।

(xiii) ''**नियमावली**'' से तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1966 एवं समय–समय पर यथा संशोधन से है ।

(xiv) ''**प्राथमिक समिति**'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) के अधीन पंजीकरॅत प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित जो **"**जिला यूनियन**"** की सदस्य हो ।

(xv) ''**क्रय क्षमता**'' से तात्पर्य उस राशि से है जो इन शर्तों एवं निबंधनों की शर्त. 5(IV) तथा 6(II) के प्रावधानों के अनुसार मान्य की गई हो ।

(xvi) ''**क्रय मूल्य** '' से तात्पर्य उस राशि से है, जो तेंदूपत्ता लाटों की अनुसूची में मानक बोरा में दर्शित मात्रा को नीचे (xvii) में परिभाषित क्रय दर से गुणा करने पर प्राप्त हो ।

(xvii) ''**क्रय दर**'' से तात्पर्य निविदाकार के द्वारा प्रस्तावित उस प्रति मानक बोरा निविदा दर से है, जो संघ के द्वारा स्वीकरॅत की गई हो ।

(xviii)''**परिक्षेत्र अधिकारी**'' से तात्पर्य संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी से हैं, जो संघ के पदेन परिक्षेत्र प्रबंधक/ भार साधक अधिकारी भी हैं,

(xix) ''**देय कर**''से तात्पर्य लाट के पत्तों के क्रय मूल्य पर समय–समय पर प्रवृत्त देय माल एवं सेवा कर व अन्य सभी कर/उपकर आदि से है,

(गग) ''**निविदा दर**'' से तात्पर्य उस प्रति मानक बोरा दर (जिसमें देय माल एवं सेवा कर व अन्य सभी कर/उपकर सम्मिलित नही हैं) से है जो निविदाकार विभिन्न लाटों के तेंदूपत्ता के क्रय के लिए परिशिष्ट– II के Form 2 में दिए गए निविदा पत्र (Online) में अलग –अलग लाट के लिए प्रस्तावित करेगा ।

(xxi) ''**निविदाकार**'' से तात्पर्य उस व्यक्ति अथवा पंजीकृत फर्म या विधिक कंपनी से है, जो इन निबंधनों तथा शर्तों के अधीन, तेंदूपत्ता क्रय करने हेतु निविदा प्रस्तुत करता है और इस अभिव्यक्ति में उसका दायद, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकिती सम्मिलित होंगे ।

(xxii) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो उपर परिभाषित नहीं हैं, परन्तु जो अधिनियम अथवा नियमावली में परिभाषित हैं, अर्थ वही होगा जो उनके लिए कथित अधिनियम अथवा नियमावली में दिया गया है ।

2. **इकाईयों का विवरण –**

इकाईयों का विवरण (नाम एवं सीमा) जिसमें से संग्रहण किया गया है मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 की धारा 3 के अधीन, मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) मध्यप्रदेश द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक ते.प/ 11001, दिनांक 26.11.86 तथा पश्चातवर्ती संशोधनों में दिया गया है ।

3. **अधिनियम के प्रावधान का लागू होना –**

अधिनियम तथा नियमावली के समस्त तत्समय प्रवृत्त प्रावधान जहां तक कि वे क्रेताओं के उपर लागू होते है निविदा सूचना एवं क्रेता करारनामे के निबंधनों तथा शर्तों के विशेषतः अभिन्न अंग होंगे ।

4. विक्रय ''जहां है जैसा है'' के आधार पर –

(I) शर्त क्रमांक 4(II) के अध्यधीन रहते हुए तेंदूपत्ते का विक्रय ''जहां है जैसा है'' के आधार पर है। इच्छुक निविदाकारों को यह सलाह दी जाती है कि वे उन गोदामीकृत तेंदूपत्ते के लाटों जिनके लिए वे निविदा प्रस्तुत करना चाहते हैं, का स्वयं निरीक्षण कर लें तथा प्रत्येक लाट में तेंदूपत्ता की गुणवत्ता के साथ साथ उसमें वास्तविक बोरों की उपलब्धता के बारे में भी अपनी संतुष्टि कर लें । निविदा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् तेंदूपत्ते की गुणवत्ता या उनके बीड़ी निर्माण हेतु उपयुक्तता के संबंध में किसी भी समय कोई भी विवाद मान्य नहीं किया जायेगा और न ही निविदाकार का आफर स्वीकृत हो जाने के पश्चात् संघ तेंदूपत्ते की गुणवत्ता में ह्रास के लिए उत्तरदायी होगा तथा तेंदूपत्ता क्रेता के उत्तरदायित्व पर गोदाम में भण्डारित रहेगा ।

(II) ठेका तेंदूपत्ते की अनुसूची में वर्णित मानक बोरों में अधिसूचित मात्रा के क्रय/ विक्रय के लिए होगा। परन्तु यदि किसी लाट में इस निविदा सूचना में अधिसूचित मात्रा से अधिक संख्या में मानक बोरे हैं, तब क्रेता को उन्हें भी उस लाट के लिए स्वीकृत दर पर अतिरिक्त राशि का भुगतान कर क्रय करना होगा। अतिरिक्त राशि का भुगतान क्रेता द्वारा लाट का अंतिम परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी होने के पूर्व करना होगा । अधिसूचित मात्रा में किसी गणितीय या लिपिकीय त्रुटि को सुधारने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित है तथा किश्तों में तद्नुसार संशोधन किया जावेगा तथा क्रेता को संशोधित मात्रा एवं किश्तों को मान्य करना होगा ।

(III) स्टाक की उल्टा–पल्टी करने या उन्हें किसी अन्य गोदाम में स्थानान्तरित करने का अधिकार, क्रेता को इस आशय की सम्यक् सूचना कि यदि वह चाहे तो उपरोक्त कार्य के समय उपस्थित रह सकता है, दिये जाने के उपरांत संघ/ जिला यूनियन के पास सुरक्षित है ।

5. निविदा प्रस्तुत करने के लिए अधिकरैत व्यक्ति आदि–

(I) निविदा प्रस्तुत (Upload) करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा यह उल्लेखित किया जायेगा कि वह/वे किस हैसियत से निविदा प्रस्तुत कर रहा है/कर रहे हैं, उदाहरणार्थ, सम्बंधित फर्म के पूर्ण स्वामी अथवा किसी मर्यादित कम्पनी के प्रबंध संचालक, संचालक अथवा सचिव के रूप में । भागीदारी फर्म के मामले में सभी भागीदारों के नाम अभिलिखित होंगे और निविदा पत्र पर सभी भागीदारों द्वारा अथवा उनके सम्यक् रूप में नियुक्त अटार्नी द्वारा, जिसे मुख्त्यारनामा द्वारा या भागीदारी विलेख में दिये गये अनुसार संविदा संबंधी सभी विषयों में सभी भागीदारों को आबद्ध करने का अधिकार हो, हस्ताक्षर किये जायेंगे । पंजीकृत भागीदारी विलेख की एक सत्य प्रति जिस पर सभी भागीदारों के हस्ताक्षर हो निविदा के साथ प्रस्तुत (Upload) की जायेगी जो न करने पर निविदा अमान्य किये जाने योग्य होगी । जिस फर्म ने करार किया है, उस फर्म के प्रत्येक भागीदार के लिए यह बाध्यकर होगा कि वह करार के चालू रहने के दौरान उसके अनुबंधों तथा शर्तों का अनुपालन करें, भले ही अभ्यंतर काल में भागीदारी का विघटन हो गया हो । मर्यादित कम्पनी की स्थिति में निविदा पर, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे, जिसे कम्पनी द्वारा वैसा करने हेतु अधिकृत किया गया हो तथा कम्पनी मेमोरेंडम और आर्टीकल आफ एसोसिएशन की एक प्रति और वह पत्र जिसके द्वारा उस व्यक्ति को निविदा अभिलेखों में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया है, निविदा के साथ प्रस्तुत (Upload) किये जायेंगे जो न करने पर निविदा अमान्य किये जाने योग्य होगी । अविभाजित हिन्दू कुटुम्ब की स्थिति में कुटुम्ब के सभी सदस्यों के नाम निविदा पत्र में लिखे जायेंगे तथा "कर्ता" जो कुटुम्ब को आबद्ध कर सके, निविदा प्रस्तुत (Upload) करेगा और अपने हस्ताक्षर के नीचे अपनी हैसियत का उल्लेख करेगा । कुटुम्ब के सभी सदस्यों के नाम एवं हस्ताक्षर युक्त पत्र जिसमे उसे कर्ता नियुक्त किया गया है, प्रस्तुत (Upload) करना होगा ।

(II) किसी अन्य व्यक्ति या फर्म की ओर से निविदा प्रस्तुत (Upload) करने वाला व्यक्ति निविदा पत्र के साथ मुख्त्यारनामा या उसके पक्ष में सम्यक् रूप से निष्पादित डीड या

भागीदारी विलेख, जिसमें उसे यह शक्ति दी गई हो, जो यह दर्शाये कि यथास्थिति ऐसे अन्य व्यक्तियों को या फर्म को, संविदा संबंधी सभी विषयों में आबद्ध करने का उसे अधिकार है, निविदा के साथ प्रस्तुत (Upload) करेगा । यदि निविदा पत्र पर इस प्रकार हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति उक्त मुख्त्यारनामा या भागीदारी विलेख प्रस्तुत (Upload) नहीं करता हैं, तो उसकी निविदा संक्षिप्त रूप से अस्वीकृति योग्य होगी । मुख्त्यारनामे पर, भागीदारी प्रतिष्ठान होने पर सभी भागीदारों द्वारा, प्रोप्राइटर फर्म होने पर प्रोप्राइटर द्वारा तथा मर्यादित कम्पनी होने पर उस व्यक्ति द्वारा जो अपने हस्ताक्षर से कम्पनी को आबद्ध कर सकता है, प्रस्तुत किये जायेंगे। हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब होने पर मुख्त्यारनामे पर "कर्ता" जो अपने हस्ताक्षर से कुटुम्ब को आबद्ध कर सकता है, द्वारा प्रस्तुत (Upload) किये जायेंगे ।

(III) अवयस्क, दिवालिया, अथवा काली सूची में दर्ज व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत निविदाएं अवैध मानी जावेंगी ।

(IV) ऐसा निविदाकार जो कि बकायादार है, निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट / डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो संघ के प्रबंध संचालक के पक्ष में भोपाल में देय हो, या इलेक्ट्रनिक कैश ट्रांसफर द्वारा संबंधित जिला यूनियन/संघ के संग्रहण बैंक खाते में, बकाया का भुगतान कर संघ के प्रबंध संचालक को लिखित/ई–मेल से सूचना प्रेषित करेगा, परन्तु यदि वह ऐसा करने में चूक करता है, तो उसके द्वारा निविदा के साथ सत्यंकार के रूप में जमा राशि से बकाया राशि को काट कर शेष राशि के आधार पर उसकी क्रय क्षमता की गणना कर उसकी निविदा पर विचार किया जावेगा ।

(V) निविदाकार का निविदा देने की तिथि को अधिनियम तथा नियमावली के अंतर्गत विनिर्माता / व्यापारी के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है और यदि वह क्रेता नियुक्त किया जाता है तो उसे करार समाप्ति की तिथि तक पंजीयन प्रमाण – पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा । निविदा पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर उस वर्ष जिसमें निविदा दी गई हैं के पंजीयन प्रमाण–पत्र का क्रमांक एवं दिनांक तथा वन मंडल का उल्लेख करना आवश्यक है एवं निविदा के साथ वन मंडलाधिकारी द्वारा दिये गए जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत (Upload) करनी अनिवार्य है ।

(VI) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139I के अनुसार सभी निविदाकारों को जिस श्रेणी के हैं जैसे– व्यक्ति /व्यक्तिगत फर्म / भागीदारी फर्म /लिमिटेड कंपनी /हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब के रुप मे स्थाई आयकर क्रमांक (PAN) एवं माल एवं सेवा कर क्रमांक (GSTN) निविदा पत्र में अंकित करना एवं PAN कार्ड एवं माल एवं सेवा कर पंजीयन प्रमाण पत्र (GST Registration Certificate) की स्कैन प्रति प्रस्तुत (upload) करना अनिवार्य है ।

6. **सत्यंकार की राशि –**

(I) प्रत्येक निविदा, सत्यंकार की राशि, जो निविदा पत्र में दर्शित क्रय क्षमता की 8**%** होगी, के साथ शर्त क्रमांक 14 (I) में दर्शाये विवरण अनुसार प्रस्तुत की जावेगी । अन्य किसी रूप में सत्यंकार की राशि जमा करने पर निविदा संक्षिप्त रूप से अमान्य किये जाने योग्य होगी ।

(II) क्रय क्षमता सत्यंकार की राशि की 12.5 गुना होगी और इस प्रकार मान्य की गई क्रय क्षमता के आधार पर निविदा पर विचार किया जायेगा ।

(III)सफल निविदाकारों की सूची एवं असफल निविदाकारों की सूची संघ की बेवसाइट **https://mfpfederation.abcprocure.com** पर क्रमशः परिशिष्ट–**IX** एवं परिशिष्ट–**X** में उपलब्ध रहेगी । सफल निविदाकार के द्वारा जमा की गई सत्यंकार की राशि प्रथमतः उसके द्वारा देय प्रतिभूति राशि के रूप में शर्त क्रमांक 10 (I) के अनुसार क्रय मूल्य की 10**%** की सीमा तक समायोजित की जावेगी ।

(IV) उपरोक्तानुसार प्रतिभूति के रूप में समायोजित करने के उपरांत शेष सत्यंकार की राशि तथा असफल निविदाकारों की पूर्ण सत्यंकार राशि परिणाम घोषित होने के उपरांत निविदा पत्र (Annexure- II Form No. 1 के कॉलम–13) में दर्शायी बैंक खाते में वापस की जावेगी । बैंक खाते का विवरण निविदाकार द्वारा गलत भरने के कारण राशि निविदाकार को प्राप्त नहीं होने की स्थिति पर निविदाकार पूर्णतः जिम्मेदार होगा । क्रेता के आवेदन पर भी अन्य किसी बैंक खाते में राशि वापस नहीं की जावेगी । अगली निविदा हेतु निविदाकार को सत्यंकार की राशि पुनः जमा करना होगी ।

(V) सत्यंकार की राशि पर किसी भी दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

7. **निविदा भरने की प्रकिया –**

(I) एक अथवा एक से अधिक लाटों के क्रय के लिए एक निविदाकार एक ही निविदा प्रस्तुत कर सकेगा । यदि कोई निविदाकार एक से अधिक निविदा प्रस्तुत करता है तो उसके द्वारा प्रस्तुत की गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा ।

(II) निविदा केवल ऑन लाइन पोर्टल https://mfpfederation.abcprocure.com पर प्रस्तुत की जा सकेगी अन्यथा प्रस्तुत की गई निविदा अवैध मानी जावेगी ।

(III) निविदाकार को निविदा पत्र में प्रत्येक लाट के क्रय के लिए अपनी प्राथमिकता के अनुसार अलग–अलग क्रय दर देना होगी । निविदाकार तेन्दूपत्ता के प्रत्येक लाट के लिए प्रति मानक बोरा दर, जिसमें कर/ उपकर सम्मिलित नहीं होंगे, अपने निविदा पत्र में प्रस्तावित करेगा । प्रस्ताव में प्रति मानक बोरा दर दर्शाना होगी, एकमुश्त रकम नहीं । निविदा दर पूर्ण रूपये में दी जावेगी ।

(IV) निविदाकार को अपने प्रथम प्राथमिकता वाले लाट के विवरण को प्राथमिकता क्रमांक–1 पर, दूसरी प्राथमिकता वाले लाट के विवरण को प्राथमिकता क्रमांक–2 पर और तद्नुसार निविदा पत्र (परिशिष्ट II, Form No. 2) में अंकित करना चाहिये । निविदाकार के द्वारा निविदा पत्र में दर्शाये गये प्राथमिकता क्रम में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं करने दिया जावेगा ।

(V) विभिन्न लाटों के लिए प्रस्ताव इस प्रकार प्रस्तुत किये जा सकेंगे कि लाटों, जिनके लिए प्रस्ताव दिये गये हैं, का कुल क्रय मूल्य क्रय क्षमता के 10 गुना से अधिक न हो परन्तु प्रस्ताव केवल क्रय क्षमता तक ही स्वीकृत किये जावेंगे ।

(VI) यदि प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का कुल क्रय मूल्य क्रय क्षमता के 10 गुना से अधिक है तो ऐसे प्रस्तावों (प्राथमिकता क्रम के अनुसार) जो इस सीमा से अधिक है, पर विचार नहीं किया जावेगा।

(VII) यदि कोई निविदाकार एक लाट के लिए एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, तो उसके द्वारा दिये गये उच्चतम दर पर ही विचार किया जावेगा और निचली दरों के प्रस्तावों के संबंध में यह माना जावेगा कि वह प्रस्तुत ही नहीं किये गये । यदि एक लाट के लिए निविदाकार द्वारा प्रस्तुत सभी प्रस्तावों की दरें समान है, तो केवल उच्चतम प्राथमिकता के प्रस्ताव पर ही विचार किया जावेगा और निचली प्राथमिकता के प्रस्तावों के संबंध में यह माना जावेगा कि वह प्रस्तुत ही नहीं किये गये ।

(VIII) यदि निविदाकार के द्वारा प्रस्तुत निविदा में किसी लाट के प्रस्ताव स्पष्ट नहीं हैं अर्थात् वह प्रस्ताव किस विशिष्ट लाट के लिए दिया गया है अथवा यदि किसी लाट की पहचान के संबंध में कोई त्रुटि की गई है तो उस लाट के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा ।

(IX) निविदाकार को अपने निविदा पत्र **(**परिशिष्ट **II, Form No. 1)** में अपना पूर्ण एवं सही डाक का पता, दूरभाष क्रमांक, मोबाईल क्रमांक एवं ई–मेल का पता इस हेतु, निर्धारित स्थान पर आवश्यक रूप से अंकित करना होगा। इस पते पर पंजीकृत डाक अथवा ई–मेल से भेजे गये पत्र उसके द्वारा प्राप्त किये गये माने जावेंगे। निविदाकार को संबोधित समस्त पत्रों को प्राप्त करने का दायित्व उसका स्वयं का है। यदि निविदाकार के द्वारा अंकित की गई जानकारी गलत पायी जाती है तो उसकी निविदा अमान्य की जा सकेगी।

(X) निविदाकार को निविदा पत्र के प्रत्येक फार्म (Templates) को भरना होगा और उसके साथ समस्त आवश्यक अभिलेख एवं सम्यक् रूप से निष्पादित किये गये निविदाकार के करारनामे को प्रस्तुत (Upload) कर, निविदा सूचना की शर्त क्रमांक–5 के अनुसार उसे प्रस्तुत करना होगा । सम्यक् रूप से निष्पादित निविदाकार का करारनामा तथा अन्य अभिलेख निविदा के साथ प्रस्तुत (Upload) न किये जाने पर, निविदा विचार किये जाने योग्य नहीं होगी ।

8. प्रस्तावों को वापिस लिया जाना आदि –

निविदा के Final Submission उपरांत कोई भी निविदाकार किसी लाट/लाटों के लिये अपना प्रस्ताव वापस नहीं ले सकेगा और वह अपने प्रस्ताव तथा निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों से तब तक बाध्य रहेगा जब तक संघ के द्वारा उसके प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने संबंधी पत्र जारी नहीं कर दिया जाता । इस शर्त का उल्लंघन करने पर संबंधित लाट/लाटों के क्रय मूल्य, जो कि उसके द्वारा प्रस्तावित दर को लाट की मानक बोरा मात्रा से गुणा करने पर परिगणित किया जावेगा, की 8% राशि का उसके द्वारा प्रस्तुत की गई सत्यंकार की राशि में से अधिहरण कर लिया जावेगा और उसे 3 वर्ष तक की कालावधि के लिये काली–सूची में दर्ज किया जा सकेगा ।

9. निविदाओं को स्वीकार किया जाना –

(I) शासन/संघ निविदा पत्र में अंकित किसी भी लाट या समस्त लाटों के प्रस्ताव/प्रस्तावों को बिना कारण दर्शाये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

(II) विभिन्न निविदाकारों को लाटों का आवंटन करने के लिए शासन/संघ विभिन्न लाटों या लाटों के वर्ग या विभिन्न क्षेत्रों के लाटों के लिए भिन्न–भिन्न कट आफ स्तर/अवरोध मूल्य निर्धारित करने का अधिकार भी सूरक्षित रखता है ।

(III) यदि किसी विशिष्ट लाट के लिए एक से अधिक निविदाकारों के द्वारा एक ही दर प्रस्तावित की जाती है तो उस लाट का आवंटन निविदाकारों के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्राथमिकता क्रम के आधार पर किया जावेगा। यदि निविदा दर एवं प्राथमिकता क्रम दोनों एक समान हों तो लाट के आवंटन की प्राथमिकता संघ द्वारा लाटरी निकाल कर तय की जावेगी ।

(IV) निविदाकार ऐसे लाट/लाटों को जो कि उसकी क्रय क्षमता की सीमा के अंदर आते है और जिनके प्रस्ताव स्वीकार किये जाते हैं, स्वीकार करने को बाध्य होगा ।

10. प्रतिभूति निक्षेप–

(I) केता करारनामा निष्पादित करने के पूर्व निष्पादित किये जाने वाले केता करारनामा के निबंधनों तथा शर्तों के यथोचित अनुपालन के लिए सफल निविदाकार को उसके पक्ष में संघ के द्वारा स्वीकृत किये गये लाटों के कुल क्रय मूल्य की 10% की राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करना होगी और इस प्रयोजन हेतु उसके द्वारा शर्त क्रमांक 6 के अनुसार जमा की गई सत्यंकार की राशि जिस हद तक वह उपलब्ध है, प्रतिभूति निक्षेप के रूप में संघ के द्वारा समायोजित कर ली जावेगी और अवशेष राशि यदि कोई हो, तो उसको निर्धारित समय के अंदर उसे जमा करना होगा । अवशेष प्रतिभूति की राशि मुख्य वन संरक्षक के पास, किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट जो कि संबंधित जिला यूनियन के प्रबंध संचालक

के नाम होगा तथा संबंधित जिला यूनियन के मुख्यालय के किसी अनुसूचित बैंक की शाखा पर देय होगा, के रूप में अदा की जाएगी । **या** परिशिष्ट-**VI** मे दर्शित संबंधित जिला यूनियन में संघ के संग्रहण बैंक खाते में इलेक्ट्रानिक कैश ट्रांस्फर (RTGS/ NEFT/Net Banking) के माध्यम से अदा करेगा ।

(II) यह प्रतिभूति निक्षेप, यथास्थिति या तो पूर्णतः या आंशिक रूप में संघ के प्रबंधक संचालक/जिला यूनियन के प्रबंध संचालक/ वन मण्डलाधिकारी द्वारा अधिनियम, नियमावली, करारनामा तथा इन शर्तों के उपबंधो के अधीन क्रेता से वसूली योग्य किसी रकम, क्रय मूल्य सहित, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जा सकता है और समस्त ऐसी कटौतियों की पूर्ति क्रेता द्वारा इस आशय की सूचना जारी होने के 15 दिन के भीतर उतनी ही रकम जमा करके की जावेगी ।

(III) यदि क्रेता से वसूल की जाने वाली बकाया राशि प्रतिभूति निक्षेप की रकम से अधिक हो, तो अधिक होने वाली रकम, जब तक कि उसकी पूर्ति वन मण्डलाधिकारी को, क्रेता को उस आशय की सूचना जारी होने के पन्द्रह दिन के भीतर न की जाये, भू–राजस्व के बकाया की बतौर एवं क्रेता करारनामे की शर्त 7(I) के अंतर्गत वसूली के योग्य होगी, साथ ही राशि वसूली हेतु अन्य विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी ।

(IV) प्रतिभूति निक्षेप या अवशेष राशि, जैसी भी स्थिति हो, वन मण्डलाधिकारी की संतुष्टि कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामें के समस्त निबंधनों एवं शर्तों, अधिनियम, नियमावली तथा निविदा सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरूद्ध शेष नहीं निकलती, के पश्चात् अंतिम किश्त के विरूद्ध समायोजित की जावेगी । लाट की अधिसूचित मात्रा से अधिक पायी गई मात्रा का परिदान क्रेता द्वारा लेना होगा । उक्त अधिक मात्रा हेतु देय राशि, लाट के विक्रय मूल्य के आधार पर उसे भुगतान करना होगा । लाट का अंतिम परिवहन अनुज्ञा पत्र उसके द्वारा उक्त राशि भुगतान करने पर ही जारी किया जावेगा ।

(V) उन क्रेताओं के संदर्भ में, जिन्होंने निविदा सूचना की शर्त क्रमांक–7 (III) के अंतर्गत एकल अनुबंध किया है, किसी एक विशिष्ट लाट से संबंधित प्रतिभूति निक्षेप की राशि तब तक रोक कर रखी जावेगी जब तक कि ऐसे एकल अनुबंध के अंतर्गत समस्त किश्तों का भुगतान न कर दिया गया हो तथा समस्त लाटों के स्टाक का परिदान न ले लिया गया हो तथा ऐसा निक्षेप वन मडलाधिकारी के स्वविवेक से उन सब लाटों के लिए देय किसी भी राशि के लेने के लिए उपयोग में लाया जा सकेगा जो कि ऐसे एकल अनुबंध के अंतर्गत हो तथापि ऐसा प्रतिभूति निक्षेप एकल अनुबंध के अंतर्गत आने वाले लाटों की देय अंतिम किश्त के विरूद्ध समायोजन योग्य होगा।

11. **तेंदूपत्ते का परिदान–**

(I) तेंदूपत्ते का परिदान देय किश्त की पूर्ण राशि के भुगतान होने पर ही क्रेता को दिया जावेगा ।

(II) देय किश्त की राशि के पूर्ण भुगतान होने के पश्चात् लाट की कुल अधिसूचित मात्रा की एक चौथाई मात्रा का परिदान दिया जावेगा । परिदान दिये जाने के समय लाट में से तेंदूपत्ते की छटांई करने की अनुमति किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जावेगी तथा परिदान छल्ली (स्टेक) के उस एक ओर से ही दिया जावेगा जिस ओर से परिदान प्रारम्भ किया गया हो ।

(III) ऐसे क्रेताओं जिन्होंने निविदा सूचना की शर्त क्रमांक 7 (III) के अनुसार, 4 या अधिक लाटों के लिए एक ही अनुबंध किया है, को ऐसे एकल अनुबंध की प्रत्येक किश्त अर्थात् अनुबंध के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक लाट की देय राशि की 1/4 राशि, के पूर्ण भुगतान के पश्चात् लाटवार परिदान लेने की अनुमति दी जा सकेगी अर्थात् ऐसा क्रेता उसके चाहे अनुसार किसी भी एक विशिष्ट लाट से परिदान इस प्रकार ले सकेगा कि परिदत्त मात्रा का कुल क्रय

मूल्य किश्त के रूप में जमा की गई राशि से अधिक न हो । यदि लाट के स्टाक का क्रय मूल्य किश्त के रूप में जमा किये गये क्रय मूल्य से कम है तब उस लाट की सम्पूर्ण मात्रा का परिदान लिया जा सकेगा तथा दूसरे लाट से भी अवशेष क्रय मूल्य की समतुल्य मात्रा का परिदान लिया जा सकेगा परन्तु यदि लाट के स्टाक का क्रय मूल्य जिसका कि परिदान लिया जाना प्रस्तावित है, किश्त के रूप में जमा की गई क्रय मूल्य की राशि से अधिक है तब लाट के आंशिक स्टाक का परिदान ही जमा किये गये क्रय मूल्य की समतुल्य मात्रा तक किया जावेगा, परन्तु यदि क्रेता अतिरिक्त राशि समस्त करों सहित जो कि अवशेष स्टाक के क्रय मूल्य के बराबर है, का भुगतान कर देता है तब उस लाट की पूर्ण मात्रा का परिदान दिया जा सकेगा । इस प्रकार अदा की गई अतिरिक्त राशि को अनुबंध के अंर्तगत अगली किश्त या किश्तों, जैसी भी स्थिति हो, के आंशिक भुगतान के रूप में माना जावेगा । क्रेता की इच्छानुसार किसी एक लाट से परिदान प्रारम्भ होने पर परिदान उसी लाट से देना तब तक जारी रखा जावेगा जब तक कि उस लाट के स्टाक की समस्त मात्रा का परिदान नहीं हो जाता है और तत्पश्चात् ही क्रेता के दर्शाए अनुसार अगले लाट से परिदान दिया जावेगा अर्थात् जब तक एक लाट की सम्पूर्ण मात्रा को समाप्त नहीं किया जाता/ का परिदान नहीं लिया जाता तब तक अगले लाट से परिदान देना प्रारम्भ नहीं किया जाएगा । आगे और यह भी कि यदि एक बार लाटवार परिदान लिया जाना प्रारम्भ किया जाता है, तब लाटवार ही परिदान देना जारी रखा जावेगा। जहां एक लाट के भाग का परिदान दिया जाना है, वहां लाट में से तेंदूपत्ते की छंटाई की अनुमति नहीं दी जावेगी तथा परिदान छल्ली (स्टेक) के उस एक तरफ से ही दिया जावेगा जिस ओर से परिदान देना प्रारम्भ हुआ है । स्थिति को और स्पष्ट करने हेतु एक उदाहरण नीचे दिया गया है –

उदाहरण :– एक क्रेता "म" ने जिला यूनियन ''एक्स'' के 4 लाट अ,ब,स तथा द कुल क्रय मूल्य (करों को छोड़कर) ''य'' पर क्रय किये हैं। ''य''/4 राशि जमा करने अर्थात् प्रत्येक लाट के क्रय मूल्य की 1/4 राशि मय करों के जमा करने पर वह किसी एक लाट जैसे कि लाट ''ब'' के स्टाक का परिदान ले सकता है । लाट ''ब'' से परिदान किये जाने वाले स्टाक का क्रय मूल्य जमा की गई राशि ''य''/4 से अधिक नहीं होगी । यदि ''य''/4 लाट ''ब'' के क्रय मूल्य (करों को छोड़कर) से अधिक है तब अगले लाट जैसे लाट ''अ'' से भी आंशिक परिदान उस मात्रा तक लिया जा सकेगा जो कि अवशेष राशि के समतुल्य हो । यदि ''य''/4 लाट ''ब'' के क्रय मूल्य (करों को छोड़कर) से कम है परन्तु क्रेता इस लाट के सम्पूर्ण स्टाक को उठाना चाहता है तब यदि वह अगली किश्त अथवा उसका अंश जो कि एकल अनुबंध के अंर्तगत निर्धारित है अदा कर अंतर की राशि की पूर्ति करता है तो वह इस लाट के पूर्ण स्टाक को उठा सकेगा । किसी भी समय, परिदत्त स्टाक का क्रय मूल्य वास्तविक रूप से जमा किये गये क्रय मूल्य (करों को छोड़कर) से अधिक नहीं होगा ।

(IV) क्रेता को उसके द्वारा परिदान में ली गई स्टाक की सम्पूर्ण मात्रा को संघ के गोदामों के परिसरों से हटाना होगा तथा उसे छंटाई या अन्य किसी प्रकार के कार्य को संघ के गोदामों के परिसरों या उनके निकट के क्षेत्र में करने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

(V) (अ) प्रथम किश्त की देय राशि का पूर्ण भुगतान किये जाने के पश्चात् यदि क्रेता लाट के पत्तों का खुला परिदान लेना चाहता है तो उसे इस आशय का आवेदन पत्र प्रथम किश्त की देय दिनांक के पूर्व मुख्य वन संरक्षक को देना होगा । क्रेता के आवेदन पत्र पर मुख्य वन संरक्षक क्रेता को संघ द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खुला परिदान देने की अनुमति देंगे। खुले परिदान के अंर्तगत लाट की अधिसूचित मात्रा के एक चौथाई भाग का परिदान दिया जावेगा । परिदान के समय लाट में से बोरों की छटाई की अनुमति नहीं दी जावेगी तथा परिदान छल्ली के उस एक ओर से दिया जावेगा जिस ओर से परिदान प्रारम्भ किया गया है ।

(ब) इस प्रकार के परिदान के समय प्रत्येक बोरे का खोलकर उसमें भरी हुई गड्डियों की गिनती क्रेता के समक्ष की जावेगी तथा उन्हें बोरों में पुनः भरकर तदनुसार मात्रा का

निर्धारण कर परिदान दिया जावेगा । इस प्रकार गिनती एवं गड्डियों को बोरों में पुनः भरने, सिलाई, थप्पी करने आदि कार्यों पर होने वाला समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया जावेगा । इस व्यय का भुगतान क्रेता द्वारा इस तेंदूपत्ते के परिवहन के पूर्व किया जावेगां।

(i) इस प्रकार गड्डियों की वास्तविक गिनती के पश्चात् पाई गई मात्रा यदि लाट की अधिसूचित मात्रा की एक चौथाई मात्रा से साढ़े सात प्रतिशत (7.5%) तक कम आती है, तो लाट की अधिसूचित मात्रा में कोई कमी नहीं की जावेगी एवं तदनुसार प्रथम किश्त के तेंदूपत्ते का परिदान क्रेता को किया जावेगा । इस प्रकार पाई गई कमी के संबंध में कोई विवाद मान्य नहीं होगा। ऐसी स्थिति में क्रेता को देय राशि में किसी प्रकार की कोई छूट देय नहीं होगी तथा आगामी किश्तों की देय राशि के भुगतान के पश्चात् शेष तेंदूपत्ते का अधिसूचित मात्रा के आधार पर परिदान कर दिया जावेगा । शेष अधिसूचित मात्रा के परिदान के पूर्व उसके अवशेष बोरों में गड्डियों की कोई गिनती नहीं की जावेगी एवं न ही खुला परिदान दिया जावेगा ।

(ii) परन्तु यदि इस प्रकार गड्डियों की वास्तविक गिनती के पश्चात् पाई गई मात्रा लाट की अधिसूचित मात्रा की एक चौथाई से साढ़े सात प्रतिशत (7.5%) से अधिक कम आती है, तो लाट की अधिसूचित मात्रा में तदनुसार कमी कर प्रथम किश्त की देय राशि की गणना संशोधित कर क्रेता द्वारा अधिक जमा राशि आगामी जमा राशि आगामी किश्त/किश्तों में समायोजित की जावेगी ।

(iii) यदि इस प्रकार गड्डियों की वास्तविक गिनती के पश्चात् पाई गई मात्रा लाट की अधिसूचित मात्रा की एक चौथाई मात्रा से अधिक आती है, तो इस अधिक मात्रा के लिये क्रेता को क्रय मूल्य तथा उस पर देय समस्त कर आदि का भुगतान करना होगा । इस प्रकार अधिक देय राशि के भुगतान के पश्चात् ही क्रेता को प्रथम किश्त के तेंदूपत्ते की इस अतिरिक्त मात्रा का परिदान दिया जावेगा ।

(iv) उपरोक्त शर्त क्रमांक (ii) एवं (iii) के अनुसार कम/ अधिक मात्रा के आधार पर आगामी किश्तों की मात्रा भी संशोधित की जावेगी एवं तदनुसार इस संशोधित मात्रा के आधार पर क्रेता को आगामी किश्तों की देय राशि का भुगतान करना होगा एवं इस संशोधित मात्रा के आधार पर ही क्रेता को आगामी किश्तों के तेंदूपत्ते का परिदान दिया जावेगा, जिसे उसे मान्य करना होगा। प्रथम किश्त के उपरांत आगामी किश्तों के पत्ते का खुला परिदान किसी भी स्थिति में नहीं दिया जावेगा ।

इस प्रकार शर्त क्रमांक 11 (V) (ब) (i), (ii),(iii) के अनुसार परिगणित की गई मात्रा एवं देय राशि के संबंध में वन संरक्षक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

12. **अधिनियम आदि का उल्लंघन –**

ऐसा क्रेता जो अधिनियम, नियमावली और/ अथवा क्रेता करारनामे की किन्ही शर्तों का उल्लंघन करता है तो, विधिक कार्यवाही पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले, करारनामे को समाप्त किया जा सकेगा एवं क्रेता द्वारा जमा प्रतिभूति निक्षेप की राशि अधिग्रहित की जा सकेगी एवं/अथवा क्रेता को तीन वर्ष की कालावधि तक के लिए काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा।

13. **करारनामें का हस्तांतरण –**

क्रेता संघ/ मुख्य वन संरक्षक की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना अनुबंध को किसी अन्य व्यक्ति/ पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा । ऐसे अनुबंध का हस्तांतरण संघ/ संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा इस शर्त पर किया जा सकेगा कि जिस व्यक्ति/ पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान के पक्ष में अनुबंध हस्तांतरित किया जाना है वह ₹ 10000/– की राशि हस्तांतरण शुल्क के रूप में तथा लाट के क्रय मूल्य की 10% राशि

प्रतिभूति निक्षेप के रूप में किसी अनुसूचित बैंक के डिमांड/ बैंक ड्राफ्ट जो कि प्रबंध संचालक म.प्र.राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के पक्ष में जिला यूनियन के मुख्यालय की किसी अनुसूचित बैंक की शाखा पर/भोपाल में देय होगा, के माध्यम से अग्रिम में अदा करें । हस्तांतरणकर्ता का आवेदन, हस्तांतरण ग्रहिता की सहमति, अधिनियम के तहत व्यापारी/विनिर्माता के प्रमाण पत्र की फोटो कापी प्रति एवं उपरोक्तानुसार हस्तांतरण शुल्क **₹** 10000/– एवं इस पर देय कर तथा लाट के क्रय मूल्य की 10% प्रतिभूति निक्षेप की राशि के डिमांड/बैंक ड्राफ्ट जोकि संबंधित जिला यूनियन के प्रबंध संचालक के पक्ष में जिला यूनियन के मुख्यालय की किसी अनुसूचित बैंक की शाखा पर देय होगा संघ/ संबंधित मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में प्रथम किश्त की देय तिथि के पूर्व प्राप्त हो जाना चाहिए **या** संबंधित जिला यूनियन में संघ के संग्रहण बैंक खाते में इलेक्ट्रानिक कैश ट्रांस्फर द्वारा अदा करेगा । ऐसे प्रकरणों में हस्तांतरणकर्ता क्रेता लाट के संबंध में अपने दायित्वों से तब तक मुक्त नहीं होगा, जब तक हस्तांतरण ग्रहिता क्रेता संबंधित वन वृत्त कार्यालय में संबंधित लाट का करारनामा निष्पादित नहीं कर देता है ।

14. देय राशि की भुगतान की प्रक्रिया –

(I) निविदाकार द्वारा

निविदाकार को सत्यंकार (E.M.D.) की राशि का भुगतान आनलाइन Payment Gateway Service Provider के माध्यम से ही करना होगा । निविदाकार द्वारा आनलाइन भुगतान निम्न में से किसी प्रकार से किया जा सकता है ।

1- क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड **(VISA / Master / Maestro Cards)**

निविदाकार द्वारा क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड (VISA / Master / Maestro Cards) के विकल्प का चयन करने के उपरांत Payment Gateway में दर्शाये निर्देशानुसार भुगतान की कार्यवाही करना होगा ।

2- नेट बैंकिग **(Net Banking)**

निविदाकार केवल नेट बैंकिग सुविधा उपलब्ध बैंक के खाते से ही राशि आनलाइन ट्रांसफर कर सकता है । नेट बैंकिग के लिये कई बैंकों की सूची Payment Gateway में प्रदर्शित होगी । उसके बाद निविदाकार को अपने बैंक का चयन कर Payment Gateway में दर्शाये निर्देशानुसार भुगतान की कार्यवाही करना होगा ।

3- आर.टी.जी.एस./एन.इ.एफ.टी **(RTGS/NEFT)**

निविदाकार को संलग्न परिशिष्ट–**XII** में उल्लेखित Other Information की कंडिका 2.2 में दर्शाये निर्देश (Instructions) के अनुसार भुगतान की कार्यवाही करना होगा ।

(II) निविदाकार द्वारा क्रेता नियुक्त होने पर

क्रेता संघ या जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्या.,को देय समस्त राशि जैसे कि विक्रय मूल्य, माल एवं सेवा कर, आय कर, ब्याज एवं गोदाम किराया आदि का भुगतान किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट जो कि संबंधित जिला यूनियन के पक्ष में जिला यूनियन के मुख्यालय में किसी अनुसूचित बैंक की शाखा पर देय होगा, या संबंधित जिला यूनियन में संघ के परिशिष्ट–VI में दिये गये बैंकों में उनके समक्ष दर्शाये कोड/बैंक खाता क्रमांको में Electronic Cash Transfer (RTGS/NEFT/Net Banking) के माध्यम से हस्तांतरण द्वारा कर सकता है।

बैंक के द्वारा संचालित RTGS/NEFT/Net Banking व्यवस्था में किसी प्रकार के व्यवधान के कारण संघ/जिला यूनियन के खाते में राशि प्राप्त न होने अथवा विलम्ब से प्राप्त होने का पूर्ण उत्तरदायित्व क्रेता का होगा । RTGS/NEFT/Net Banking व्यवस्था से भुगतान की तिथि वही मानी जावेगी, जिस तिथि को संघ/जिला यूनियन के बैंक खाते में राशि प्राप्त होगी ।

क्रेता द्वारा भुगतान करने के उपरांत मनी रसीद (M.R.) जारी करने हेतु परिशिष्ट–VII में आवेदन संबंधित जिला यूनियन को प्रस्तुत करना होगा तत्पश्चात् ही संबंधित जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्या., द्वारा मनी रसीद (Money Receipt) जारी की जावेगी ।

Annexure - II
(परिशिष्ट-II)

(निविदा सूचना दिनांक 31-07-2026 का परिशिष्ट)

मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित भोपाल

तेन्दूपत्ता लाट के क्रय हेतु आनलाइन निविदा पत्र

ONLINE TENDER FORM FOR PURCHASE OF TENDU LEAVES LOTS

(Form No. 1)

1.	Permanent Tenderer Number (P.T.N.)		
2.	Tenderer's Category		Drop Down Menu (INDIVIDUAL, PROPRIETORSHIP FIRM, PARTNERSHIP FIRM, COMPANY, HUF, LTD. Co.)
3.	(a)	Proprietor's Name (In case of Proprietorship Firm) / Name of Karta (In case of HUF)	
	(b)	Father's Name / Husband's Name	
4.	**Address for Correspondence**		
	(a)	House No.	
	(b)	Street / Location	
	(c)	Area / Landmark	
	(d)	City	
	(e)	District Name	
	(f)	State	Selection from Drop down menu (List provided by Federation)
	(g)	Pin Code	
5.	Contact No. 1 (Provide STD Code also in case of Landline No.)		
6.	Alternate Contact Nos. (Mobile No.)		
	(a)	Contact No. 2	
	(b)	Contact No. 3	
7.	Fax No. (Provide STD Code also)		
8.	Alternate E-mail Id (For Official Correspandance)		Should be valid E-mail Id
9.	Income Tax P.A.N.		
10.	**Registration Details**		

	(a)	Registration No. and Date Under Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam 1964	
	(b)	Name of Forest Division Where Tenderer is Registered	Selection from Drop down menu (List provided by Federation)
	(c)	Status of Tenderer	Drop Down Menu 1.(MANUFACTURER , TRADER, BOTH) 2- Validity for year (2018, 2019, 2020, 2021.........) 3. Tenderer's State (M.P, RJ, UP, A.P., T.N., JH. CG., MH, GUJ., ...)
11.	Registration No. Under Goods & Service Tax Act (**GSTN**)		
12.	Outstanding dues of Forest Department / Federation against the Tenderer (Condition No. 1(V) of Annexture - I) – In Rs.		
13.	**Tenderer's Bank Details***		
	(a)	Type of Account	Drop Down Menu (Saving Bank A/c / Current A/c / Cash Credit A/c / Over Draft A/c)
	(b)	Acoount Number	
	(c)	Name of Bank and Branch	
	(d)	IFSC Code	

** Bank Details should be filled up carefully

Lotwise Rate Offer

(Form No. 2)

Earnest Money Deposit (E.M.D.) - In Rs. : Entered by Tenderer

Purchase Capacity (P.C.) - In Rs. : Non-edited (E.M.D. x 12.5)

Priority No.	Sr. No of Lot	Lot No	Quantity (In Standard Bags)	Purchase Rate per Standard Bag (In Rs.)	Purchase Price (In Rs.) (Quantity x Rate)

Documents to be Uploaded

(Form No. 3)

1.	Scanned copy of Registration in DFO Office (For all)
2.	Scanned copy of PAN Card (For all)
3.	Scanned copy of Partnership Deed (if applicable)
4.	Scanned copy of Certificate of Company Incorporation and List of Latest Directors of Company (if applicable)
5.	Scanned copy of Power of Attorney (if applicable)
6.	Scanned copy of list of family members in case of H.U.F.
7.	Scanned copy of GSTN Registration of Trader/ Manufacturer under Goods & Service Tax Act 2017 (For all)
8.	Self Declaration Annexure-XIV (For All)
9.	Any Other Document Specify (Aadhar/Voter ID/Driving Licence)

परिशिष्ट– III

{निविदा सूचना दिनांक 31-07-2026 का परिशिष्ट}

निविदाकार का करारनामा

निविदा सूचना की शर्त कमांक –4(II)

यह करार आज दिनांक ....माह.................सन्...................को प्रथम पक्ष वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक...................वृत्त के मार्फत कार्य करते हुए मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्या. (जिन्हे इसके आगे **"संघ"** कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, उनके उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकिती सम्मिलित होंगे) तथा द्वितीय पक्ष श्री/मेसर्स...................
....आत्मज ....ग्राम ....
पुलिस थाना ....जिला.............................(जिन्हें इसके आगे ''निविदाकार कहा गया है'', जिस अभिव्यक्ति में, उसके दायद, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकिती सम्मिलित होंगे) के मध्य किया जाता है।

चूँकि तेंदूपत्ते का व्यापार मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों द्वारा विनियमित होता है,

और

चूँकि शासन द्वारा संघ को संपूर्ण मध्यप्रदेश की विभिन्न तेंदूपत्ता इकाईयों से संग्रहित तेंदूपत्तों के समस्त लाटों के निर्वर्तन हेतु अधिकृत किया गया है,

और

चूँकि वर्ष ....संग्रहण के संघ विभिन्न इकाईयों के संग्रहित तथा गोदामीकृत तेंदूपत्तों के लाटों का निविदा द्वारा निर्वर्तन करना चाहता है एवं उसके द्वारा निविदाएं आमंत्रित करने हेतु सूचना क्र. ते.प. ....दिनांक ....जारी की गई है और चूँकि संघ उपरोक्त निविदा सूचना की शर्तों के परिपालन के लिए संभावित निविदाकारों से निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व एक करारनामा निष्पादित करवाना चाहता है ।

अतएवं यह प्रलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है और इससे संबंधित व्यक्ति, पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान द्वारा एतद् द्वारा निम्नलिखित रूप से परस्पर करार करते हैं :–

1. मैं/ हम ....एतद् द्वारा यह घोषित करता हूं/करते है कि मैंने/हमने मध्य प्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 के समस्त उपबंधों, उसके अधीन बनाये नियमों, उपरोक्त वर्णित निविदा सूचना की शर्तों, निविदा सूचना के परिशिष्ट–I में दिये गये निविदा के निबंधनों एवं शर्तों तथा निविदाकारों के लिए निर्देश तथा उपरोक्त निविदा सूचना से संलग्न केता करारनामा की शर्तों को पढ़ लिया है और समझ लिया है और मैं/हम उनका पालन करने का करार करता हूं/करते हैं ।

2. मैं/ हम ....एतद् द्वारा घोषित करता हूं/करते है कि मैं/हम निविदाएं खुलना प्रारम्भ होने के पश्चात् अपना प्रस्ताव (ऑफर) वापस नहीं लूंगा/लेंगे। मैं/हम यह भी घोषित करता हूं/करते है कि मैं/हम निविदा खुलने के बाद अपने प्रस्ताव (ऑफर) पर तथा इस निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों पर तब तक बाध्य रहूंगा/रहेंगे, जब तक कि सक्षम अधिकारी द्वारा निविदा स्वीकार या अस्वीकार करने के आदेश नहीं हो जाते या दूसरा व्यक्ति या पक्ष उस लाट/लाटों के लिए केता नियुक्त नहीं हो जाता जिसके/जिनके लिए मैंने/हमने निविदा प्रस्तुत की है ।

3. मेरे/हमारे ....के द्वारा इस करारनामे की शर्तों के परिपालन में असफल होने पर मैं/ हम ऐसी शास्ति के भुगतान के दायित्वाधीन रहूँगा/रहेंगे जैसी कि निविदा सूचना की शर्तों और उपबंधों के अधीन वसूली योग्य होगी ।

4. इस करार के संबंध में यही और सदैव यही समझा जावेगा कि वह मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1964 के और उसके अधीन बनाये गये नियमों के और उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन समय–समय पर जारी किये गये आदेशों तथा अधिसूचना के साथ ही संघ की अधिसूचना कमांक ते.प. ....दिनांक .... के अधीन जारी की गई निविदा सूचना के उपबंधों तथा शर्तों के और जो सब इस करार के भाग होंगे और इसके भाग बन गये समझे जायेंगे और जिनका यह अर्थ लगाया जायेगा कि वे इस प्रलेख में विनिर्दिष्ट रूप से उपस्थित है, उपबंधों के अध्यधीन है ।

5. मैं/ हम ....एतद् द्वारा घोषित करता हूं/करते है कि मेरे/हमारे विरूद्ध मध्यप्रदेश में न तो वन विभाग अथवा संघ की कोई राशि बकाया है और न ही मैं/हम/ शासन/संघ के द्वारा काली सूची में दर्ज किया गया हूँ/हैं ।

जिसके साक्ष्य में मैंने/हमने संबंधित व्यक्ति/पंजीकरॆत फर्म/विधिक कम्पनी ने पहले उपर लिखे गये दिनांक तथा वर्ष को अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

Note:- Since the document is being submitted as a part of digitally signed tender document in e-tendering process, the physical signatures of the tenderer and Managing Director, Madhya Pradesh Minor Forest Produce (Trading & Developement) Co-op. Federation Limited are not available on this document.

परिशिष्ट– IV

{निविदा सूचना दिनांक 31-07-2026 का परिशिष्ट}

क्रेता का करारनामा
(निविदा सूचना की शर्त क्रमांक –7)

यह करार आज दिनांक ....माह.................सन्..................को प्रथम पक्ष मध्यप्रदेश के राज्यपाल जो विलेख के प्रयोजन के लिए मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित.....................वृत (जो इसके पश्चात् मुख्य वन संरक्षक के नाम से निर्दिष्ट है) के माध्यम से कार्य कर रहे हैं (जहां संदर्भ में ऐसा ग्राहय हो, उसके कार्यालयीन उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) तथा द्वितीय पक्ष के श्री.. आत्मज ....निवासी..............................ग्राम.............और जो (1) श्री......................... ....(2) श्री ....(3) श्री .... के साथ ....स्थित कम्पनी, जिसका नाम ....है तथा जो इंडियन कंपनी एक्ट, 1913 (7–1913), कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) के अधीन पंजीकृत है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय ....में स्थित है, के साथ भागीदारी में कारोबार कर रहे हैं, जो इसमें इसके पश्चात् क्रेता के नाम से विनिर्दिष्ट है (जिस अभिव्यक्ति में, जब तक संदर्भ में इस प्रकार ग्राहय न हो, उसके दायद, उत्तराधिकारी, निष्पादक और उनके उत्तरजीवी, अंतिम उत्तरजीवियों के दायद, निष्पादक तथा प्रशासक उक्त कंपनी का तत्कालीन भागीदार, उसके उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) के बीच किया गया है (उन शब्दों को काट दिया जाए जो लागू न हो)

चूँकि मध्यप्रदेश राज्य में तेंदूपत्ते का व्यापार, मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 (क्रमांक 29/1964) के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के अधीन बनाई गई मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1966, भारतीय वन अधिनियम, 1927 और उसके अधीन बनाये गए नियमों तथा उनके कानूनी उपांतरणों, जहां तक वे ऐसे व्यापार को लागू है, द्वारा विनियमित होता है, और चूँकि राज्य शासन ने संग्रहण वर्ष .... के तेंदूपत्ते के संग्रहण व निर्वर्तन के लिए मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित को अभिकर्ता नियुक्त किया है और संघ ने उसके द्वारा एकत्रित एवं गोदामीकृत किये गये तेंदूपत्ते के विक्रय के लिए अपनी निविदा सूचना क्रमांक ते.प. (........)............ दिनांक............. के द्वारा निविदायें आमंत्रित की थी, और क्रेता के द्वारा विभिन्न लाटों जिनका विवरण इस करारनामे की कंडिका 21 की तालिका में दिया गया है और जिनको कथित निविदा सूचना क्रमांक ते.प.(......)............. दिनांक................ की अनुसूची में और पूर्णतया वर्णित किया गया है, के तेंदूपत्ते के क्रय के लिए दी गई प्रस्तावित दरें, इसमें इसके पश्चात् दर्शाये गये निबंधनों एवं शर्तों पर स्वीकार की गई हैं और उसे इस कथित तेंदूपत्ते का दिनांक.................. को समाप्त होने वाली अवधि के लिए क्रेता नियुक्त करने के लिए वह सहमत हो गया है,

अब यह प्रलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है, और संबंधित पक्ष एतद् द्वारा निम्नलिखित रूप से परस्पर करार करते हैं :–

1. **क्रेता करारनामा की अवधि –**

यह करार दिनांक....................... से प्रारम्भ होगा और दिनांक.................तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि इस करार के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार पूर्व में ही इसे समाप्त न कर दिया जाए ।

2. **करारनामे के भाग –**

इस करार के संबंध में यही और सदैव यही समझा जावेगा कि वह मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 के, और उसके अधीन बनाये गये नियमों के, और उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन समय–समय पर जारी किए गए आदेशों तथा अधिसूचना के साथ ही संघ की अधिसूचना क्रमांक ते.प.(........).............दिनांक.....................के अधीन जारी की गई निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों के तथा इस निविदा सूचना के परिशिष्ट–I में उल्लेखित सामान्य/अन्य निबंधनों एवं शर्तों तथा निविदाकारों के लिए निर्देशों के जो सब इस करार के भाग होंगे, और इसके भाग बन गये समझे जावेंगे, और जिनका अर्थ लगाया जायेगा कि इस प्रलेख में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित है, उपबंधों के अध्यधीन है ।

3. **क्रय दर आदि –**

क्रेता इस अनुबंध की कंडिका 21 की तालिका में दर्शाये गये लाट/लाटों जिनको कि इसके पश्चात् लाट/लाटों कहा गया है, के तेंदूपत्ता को प्रत्येक लाट के सामने दर्शाई गई दर पर, कालम 6 में दर्शाये गये क्रय मूल्य पर क्रय करेगा । लाट के क्रय मूल्य के अतिरिक्त क्रेता समय–समय पर प्रवर्त्त क्रय मूल्य के ऊपर कर/उपकर भी अदा करेगा ।

4. **विक्रय ''जहां है जैसा है'' के आधार पर –**

(I) उप कंडिका (II) के अध्यधीन रहते हुये तेंदूपत्तों का विक्रय "जहां है जैसा है" के आधार पर है । पत्तों की गुणवत्ता या उनके बीड़ी निर्माण हेतु उपयुक्तता के बारे में किसी भी समय कोई विवाद मान्य नही किया जायेगा और न ही संघ उनकी गुणवत्ता में किसी प्रकार के ह्रास के लिये उत्तरदायी होगा तथा पत्ते का भंडारण क्रेता के उत्तरदायित्व पर रहेगा ।

(II) यह अनुबंध तेंदूपत्ते की मानक बोरें में अधिसूचित मात्रा के क्रय/विक्रय के लिये है। वास्तविक बोरों की संख्या के संबंध में कोई विवाद मान्य नही किया जायेगा । यदि इस अनुबन्ध में सम्मिलित किसी लाट में निविदा सूचना में अधिसूचित मात्रा से अधिक संख्या में मानक बोरे निकलते हैं, तो क्रेता को उन्हें भी लाट के लिये अनुबन्ध की कंडिका 21 में दर्शाये स्वीकृत दर पर अतिरिक्त भुगतान कर क्रय करना होगा । ऐसा अतिरिक्त भुगतान क्रेता को लाट का अंतिम परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी होने के पूर्व करना होगा जैसा कि निविदा सूचना के परिशिष्ट–I में दर्शाया गया है । अधिसूचित मात्रा में किसी गणितीय अथवा लिपिकीय त्रुटि को सुधारने का अधिकार संघ सुरक्षित रखता है तथा किश्तों में तद्नुसार संशोधन किया जायेगा और क्रेता को संशोधित मात्रा एवं किश्तों को मान्य करना होगा ।

(III) स्टाक की उल्टा–पल्टी करने या उन्हें किसी अन्य गोदाम में स्थानांतरित करने का अधिकार, क्रेता को इस आशय की सम्यक् सूचना कि यदि वह चाहे तो उपरोक्त कार्य के समय उपस्थित रह सकता है, दिये जाने के उपरांत संघ/ जिला यूनियन के पास सुरक्षित है ।

5. **देय राशि के भुगतान तथा पत्ते के परिदान की रीति –**

(अ) चूँकि क्रेता.........................(यहां संख्या दर्शाये) लाट/लाटों के लिए क्रेता नियुक्त किया गया है और वह लाटवार परिदान लेने हेतु इच्छुक हैं तथा उसने सभी लाटों के लिए एकल अनुबंध करने हेतु अनुमति के लिए आवेदन दिया है, अतः यह अनुबंध सभी कथित लाटों के लिये किया गया हैं । इस अनुबंध में निहित सभी लाटों का कुल क्रय मूल्य (कर/उपकर को छोड़कर) जिसे इस अनुबंध कि कंडिका 21 में दर्शाया गया है इस अनुबंध के उद्देश्य के लिए क्रय मूल्य माना जाएगा तथा इस राशि का एक चौथाई भाग प्रत्येक किश्त की राशि (कर/उपकर को छोड़कर) होगी (यदि प्रयुक्त न हो तो काट दें) ।

क्रेता पूर्ण क्रय–मूल्य का भुगतान समस्त देय करों सहित प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में चार बराबर किश्तों में संबंधित जिला यूनियन के प्रबंध संचालक, के पक्ष में संबंधित जिला यूनियन की किसी अनुसूचित बैंक की शाखा पर देय बैंक/डिमांड ड्राफ्ट/किसी बैंक की

शाखा पर देय होगा **या** संबंधित जिला यूनियन में RTGS/ NEFT/ Internet Banking द्वारा परिशिष्ट–V में दिये गये बैंकों के उनके समक्ष दर्शाये कोड/बैंक खाता क्रमांको में Electronic Cash Transfer के माध्यम से निम्न तिथियों को या उसके पूर्व करेगा ।

(राशि रुपये में)

किश्त	देय राशि की किश्तों के भुगतान की तिथि	क्रय मूल्य की राशि	उपकर	माल एवं सेवा कर	आयकर	अन्य कर	योग
प्रथम							
द्वितीय							
त₹तीय							
चतुर्थ							

क्रेता द्वारा किसी किश्त की देय तिथि के पूर्व उस किश्त की नीचे दर्शाये अनुसार आंशिक राशि एवं उस पर देय समस्त कर आदि जमाकर जमा की गई राशि के अनुपात में पत्ते का परिदान प्राप्त किया जा सकेगा । यदि क्रेता किसी किश्त की देय राशि निर्धारित तिथि तक भुगतान करने में असमर्थ रहता है, तो प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन से अनुमति प्राप्त कर 300 मानक बोरे के विरुद्ध देय समस्त करों सहित राशि का भुगतान करने पर समानुपातिक रुप से तेन्दूपत्ता मुक्त किया जा सकेगा तथा अवशेष तेन्दूपत्ते पर किश्त की देय तिथि से विलंबित समय के लिये 5 (स) के अनुसार ब्याज देय होगा ।

निविदा सूचना के प्रावधानों के अनुसार पटाई गई प्रतिभूति निक्षेप या उसकी अवशेष राशि जैसी भी स्थिति हो, जिला यूनियन के प्रबंध संचालक के संतुष्ट होने पर इस अनुबंध की कंडिका 10 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार अंतिम किश्त के विरूद्ध समायोजित की जावेगी ।

(ब) यदि क्रेता द्वारा प्रथम किश्त की देय दिनांक तक किसी लाट का सम्पूर्ण क्रय मूल्य समस्त देय करों सहित भुगतान किया जाता है तो उसे क्रय मूल्य की राशि के 1% के बराबर राशि की छूट दी जावेगी । यदि क्रेता इस सुविधा का लाभ उठाना चाहता है तो वह सम्पूर्ण क्रय मूल्य की 99% राशि तथा सम्पूर्ण क्रय मूल्य (100%) पर समस्त देय करों की राशि का भुगतान करेगा । यदि प्रथम किश्त की देय तिथि को सार्वजनिक अवकाश रहता है तो इस उप कंडिका के प्रयोजन हेतु प्रथम किश्त की देय तिथि आगामी कार्य दिवस मानी जावेगी ।

(स) यदि क्रेता किसी किश्त की देय राशि का देय तिथि तक भुगतान करने में असफल रहता है, तो वह विलंबित अवधि के लिए 0.045 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से ब्याज देगा । यदि किसी किश्त की देय तिथि को सार्वजनिक अवकाश रहता है तो ब्याज की गणना के लिये देय तिथि आगामी कार्य दिवस मानी जावेगी ।

(द)(**I**) क्रेता तेंदूपत्ते का निविदा सूचना की अनुसूची में अधिसूचित गोदामों से परिदान लेगा तथा वह गोदाम के अन्दर से बोरा हटाने में आया समस्त व्यय स्वयं वहन करेगा । क्रेता को पत्तों का परिदान केवल तभी दिया जायेगा जबकि देय राशि का विलंबित भुगतान की स्थिति में ब्याज सहित, पूर्ण भुगतान उसके द्वारा कर दिया गया है ।

(II) प्रत्येक किश्त की देय राशि का पूर्ण भुगतान किये जाने के पश्चात् लाट की अधिसूचित मात्रा के एक चौथाई भाग का परिदान दिया जायेगा । परिदान के समय लाट में से पत्तों की छंटाई की अनुमति नही दी जायेगी तथा परिदान छल्ली (स्टेक) के उस एक ओर से ही दिया जावेगा जिस ओर से परिदान प्रारंभ किया गया है ।(यदि प्रयुक्त न हो तो काट दें)

या

(II) चूँकि क्रेता ने निविदा सूचना की कंडिका क्रमांक 7 (**III**) के अनुसार..................(यहां संख्या दर्शाये) लाटो के लिये अनुबंध किया है, अतः उसे पत्तों का लाटवार परिदान प्राप्त करने की पात्रता है । क्रेता को ऐसे एकल अनुबंध की प्रत्येक किश्त अर्थात अनुबंध के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक लाट की देय राशि की 1/4 राशि, के पूर्ण भुगतान के पश्चात् लाटवार परिदान लेने की अनुमति दी जा

सकेगी अर्थात् ऐसा क्रेता उसके चाहे अनुसार किसी भी एक विशिष्ट लाट से परिदान इस प्रकार ले सकेगा कि परिदत्त मात्रा का कुल क्रय मूल्य किश्त के रूप में जमा की गई राशि से अधिक न हो । यदि लाट के स्टाक का क्रय मूल्य किश्त के रूप में जमा किये गये क्रय मूल्य से कम है तब उस लाट की सम्पूर्ण मात्रा का परिदान लिया जा सकेगा तथा दूसरे लाट से भी अवशेष क्रय मूल्य की समतुल्य मात्रा का परिदान लिया जा सकेगा परन्तु यदि लाट के स्टाक का क्रय मूल्य जिसका कि परिदान लिया जाना प्रस्तावित है, किश्त के रूप में जमा की गई क्रय मूल्य की राशि से अधिक है तब लाट के आंशिक स्टाक का परिदान ही जमा किये गये क्रय मूल्य की समतुल्य मात्रा तक किया जावेगा, परन्तु यदि क्रेता अतिरिक्त राशि समस्त करों सहित जो कि अवशेष स्टाक के क्रय मूल्य के बराबर है, का भुगतान कर देता है तब उस लाट की पूर्ण मात्रा का परिदान दिया जा सकेगा । इस प्रकार अदा की गई अतिरिक्त राशि को अनुबंध के अंतर्गत अगली किश्त या किश्तों, जैसी भी स्थिति हो, के आंशिक भुगतान के रूप में माना जावेगा । क्रेता की इच्छानुसार किसी एक लाट से परिदान प्रारम्भ होने पर परिदान उसी लाट से देना तब तक जारी रखा जावेगा, जब तक कि उस लाट के स्टाक की समस्त मात्रा का परिदान नहीं हो जाता है और तत्पश्चात् ही क्रेता के दर्शाए अनुसार अगले लाट से परिदान दिया जावेगा अर्थात् जब तक एक लाट की सम्पूर्ण मात्रा को समाप्त नहीं किया जाता/का परिदान नहीं लिया जाता तब तक अगले लाट से परिदान देना प्रारम्भ नहीं किया जाएगा । आगे और यह भी कि यदि एक बार लाटवार परिदान लिया जाना प्रारम्भ किया जाता है, तब लाटवार ही परिदान देना जारी रखा जावेगा । जहां एक लाट के भाग का परिदान दिया जाना है, वहां लाट में से तेंदूपत्ते की छंटाई की अनुमति नहीं दी जावेगी तथा परिदान छल्ली (स्टेक) के उस एक ओर से ही दिया जावेगा जिस ओर से परिदान देना प्रारम्भ हुआ है । जैसा कि क्रेता द्वारा आवेदन किया गया है इस अनुबंध में निहित लाटों के पत्ते का उसके द्वारा परिदान निम्न क्रम में लिया जावेगा ।

अनुक्रमांक	लाट क्रमांक	अनुक्रमांक	लाट क्रमांक
1.		6.	
2.		7.	
3.		8.	
4.		9.	
5.		10.	

(III) क्रेता को उसके द्वारा परिदान में ली गई सम्पूर्ण मात्रा को संघ के गोदामों के परिसरों से हटाना होगा तथा उसे छंटाई या कोई अन्य कार्य संघ के गोदाम के परिसरों में या उनके निकट के क्षेत्र में करने की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

(IV)(अ) प्रथम किश्त की देय राशि का पूर्ण भुगतान किये जाने के पश्चात् यदि क्रेता लाट के पत्तों का खुला परिदान लेना चाहता है तो उसे इस आशय का आवेदन पत्र प्रथम किश्त की देय दिनांक के पूर्व मुख्य वन संरक्षक को देना होगा । क्रेता के आवेदन–पत्र पर मुख्य वन संरक्षक क्रेता को संघ द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खुला परिदान देने की अनुमति देंगे । खुले परिदान के अंर्तगत लाट की अधिसूचित मात्रा के एक चौथाई भाग का परिदान दिया जायेगा । परिदान के समय लाट में से बोरों की छंटाई की अनुमति नही दी जायेगी तथा परिदान छल्ली के उस एक ओर से दिया जायेगा जिस ओर से परिदान प्रारंभ किया गया है ।

(ब) इस प्रकार के परिदान के समय प्रत्येक बोरे को खोलकर उसमें भरी हुई गड्डियों की गिनती क्रेता के समक्ष की जावेगी तथा उन्हें बोरों में पुनः भरकर तदनुसार मात्रा का निर्धारण कर परिदान दिया जावेगा । इस प्रकार गिनती एवं गड्डियों को बोरों में पुनः भरने, सिलाई, थप्पी करने आदि कार्यों पर होने वाला समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया जावेगा । इस व्यय का भुगतान क्रेता द्वारा इस तेंदूपत्ते के परिवहन के पूर्व किया जावेगा ।

(i) इस प्रकार गड्डियों की वास्तविक गिनती के पश्चात् पाई गई मात्रा यदि लाट की अधिसूचित मात्रा की एक चौथाई मात्रा से साढ़े सात प्रतिशत (7.5%) तक कम आती है, तो लाट की अधिसूचित मात्रा में कोई कमी नहीं की जावेगी एवं तदनुसार प्रथम किश्त के तेंदूपत्ते का परिदान क्रेता को किया जावेगा । इस प्रकार पाई गई कमी के संबंध में कोई विवाद मान्य नहीं होगा । ऐसी स्थिति में क्रेता को देय राशि में किसी प्रकार की कोई छूट देय नहीं होगी तथा आगामी किश्तों की देय राशि के भुगतान के पश्चात् शेष तेंदूपत्ते का अधिसूचित मात्रा के आधार पर परिदान कर दिया जावेगा । शेष अधिसूचित मात्रा के परिदान के पूर्व उसके अवशेष बोरों में गड्डियों की कोई गिनती नहीं की जावेगी एवं न ही खुला परिदान दिया जावेगा ।

(ii) परन्तु यदि इस प्रकार गड्डियों की वास्तविक गिनती के पश्चात् पाई गई मात्रा लाट की अधिसूचित मात्रा की एक चौथाई मात्रा से साढ़े सात प्रतिशत (7.5%) से अधिक कम आती है, तो लाट की अधिसूचित मात्रा में तदनुसार कमी कर प्रथम किश्त की देय राशि की गणना संशोधित कर क्रेता द्वारा अधिक जमा राशि आगामी किश्त/किश्तों में समायोजित की जावेगी ।

(iii) यदि इस प्रकार गड्डियों की वास्तविक गिनती के पश्चात् पाई गई मात्रा लाट की अधिसूचित मात्रा की एक चौथाई मात्रा से अधिक आती है, तो इस अधिक मात्रा के लिये क्रेता को क्रय मूल्य तथा उस पर देय समस्त कर आदि का भुगतान करना होगा । इस प्रकार अधिक देय राशि के भुगतान के पश्चात् ही क्रेता को प्रथम किश्त के तेंदूपत्ते की इस अतिरिक्त मात्रा का परिदान दिया जावेगा ।

(iv) उपरोक्त शर्त क्रमांक (**ii**) एवं (**iii**) के अनुसार कम/अधिक मात्रा के आधार पर आगामी किश्तों की मात्रा भी संशोधित की जावेगी एवं तदनुसार इस संशोधित मात्रा के आधार पर क्रेता को आगामी किश्तों की देय राशि का भुगतान करना होगा एवं इस संशोधित मात्रा के आधार पर ही क्रेता को आगामी किश्तों के तेंदूपत्ते का परिदान दिया जावेगा, जिसे उसे मान्य करना होगा । प्रथम किश्त के उपरांत आगामी किश्तों के पत्ते का खुला परिदान किसी भी स्थिति में नहीं दिया जावेगा ।

इस प्रकार कंडिका 5 (द) (**IV**) (ब) (**i**), (**ii**),(**iii**) के अनुसार परिगणित की गई मात्रा एवं देय राशि के संबंध में वन संरक्षक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

(ई) नीचे दी गई कंडिका (फ) के प्रावधान के अध्यधीन, किश्त की देय दिनांक या भुगतान की दिनांक, जो भी बाद में हो से 45 दिनों के भीतर गोदाम से तेंदूपत्ता हटाना होगा, परन्तु यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो परिदान आदेश को जिला यूनियन के प्रबंध संचालक से पुनर्जीवित कराना होगा ।

(फ) क्रेता को उसके द्वारा क्रय किये गये तेंदूपत्ते को गोदामों से केवल करार अवधि में ही हटाने का अधिकार है तथा करार अवधि समाप्त होने पर उसका तेंदूपत्ता की शेष मात्रा पर कोई अधिकार नहीं होगा तथा ऐसा तेंदूपत्ता संघ की संपत्ति बन गया माना जावेगा । तथापि यदि क्रेता ने लाट के पूर्ण क्रय मूल्य का भुगतान कर दिया है तथा उसका करारनामा समाप्त नहीं किया गया है और उसने अवधि वृद्धि शुल्क के रूप में ₹ 10000/–एवं इस पर देय कर का तथा गोदाम किराये के रूप में करार अवधि समाप्त होने से प्रत्येक माह या उसके भाग के लिए ₹ 9/– प्रति वास्तविक बोरा की दर से भुगतान कर दिया है और मुख्य वन संरक्षक को तेंदूपत्ते को हटाने की अनुमति देने हेतु लिखित आवेदन दिया है, तो मुख्य वन संरक्षक ऐसी अनुमती ऐसी कालावधि के लिए दे सकेंगे जो करार की समाप्ति की तिथि से 60 दिनों से अधिक की नहीं होगी । परन्तु उपरोक्त 60 दिवस की अवधि समाप्ति के उपरांत भी विशेष परिस्थितियों में अवधि वृद्धि के रुप में **₹** 10000/– एवं इस पर देय कर अतिरिक्त प्राप्त होने पर संघ के प्रबंध संचालक अपने स्वविवेक से तेंदूपत्ता हटाने हेतु इस पत्ते के निर्वर्तन के पूर्व अतिरिक्त अवधि दे सकेंगे । यदि क्रेता द्वारा मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में उपरोक्तानुसार 60 दिनों की अनुमति हेतु अवधि वृद्धि शुल्क **₹** 10000/–एवं इस पर देय कर जमा नही किये हैं एवं उसके द्वारा उपरोक्तानुसार 60 दिवस से अतिरिक्त अवधि वृद्धि हेतु

अनुरोघ किया जाता है, तो उसे अवधि वृद्धि शुल्क के रुप में ₹ 20000/- एवं इस पर देय कर जमा करना होगा ।

6. **बकाया राशि की वसूली –**

(I) यदि संघ क्रेता से पूर्व की कोई बकाया राशि किसी भी कारण से वसूल नहीं कर पाता है तो ऐसी बकाया राशि क्रेता के द्वारा भुगतान योग्य होगी और उसके द्वारा ऐसा भुगतान न करने पर ऐसी राशि संघ/जिला यूनियनों के पक्ष में क्रेता द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी/सावधी जमा रसीद (FDR) आदि के नगदीकरण के अधिकार पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव डाले बिना, क्रेता की अन्य ऐसी राशि जो कि संघ के पास इस करारनामें के प्रावधानों के अंर्तगत उपलब्ध हो या संघ एवं क्रेता के बीच अन्य किसी प्रचलित या पूर्व में निष्पादित करारनामे अथवा भविष्य में निष्पादित किए जाने वाले करारनामे के अंर्तगत संघ के पास उपलब्ध हो, से भी वसूली योग्य होगी। उपरोक्तानुसार बकाया राशि की पूर्ण वसूली न होने पर ऐसी बकाया राशि भू–राजस्व की बकाया के बतौर वसूली योग्य होगी, साथ ही राशि वसूली हेतु अन्य विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी ।

(II) यदि संघ को देय पूर्व की कोई भी राशि प्राप्त नहीं होती है, तो इसे इस करारनामें का विशिष्ट उल्लंघन माना जाएगा, जिसके कारण यह करारनामा समाप्त किया जा सकेगा और क्रेता को 3 वर्ष की कालावधि तक के लिये काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा एवं क्रेता करारनामे की शर्त 13 के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

7. **करों का भुगतान –**

(I) इस करार के अधीन संघ को देय कोई भी किश्त अथवा राशि तब तक दी गई नहीं मानी जायेगी, जब तक उस पर देय समस्त करों एवं यथा स्थिति करों पर अधिरोपित कोई भी ब्याज/दण्ड ब्याज/शास्ति सहित का भी भुगतान न कर दिया जाए ।

(II) क्रेता मध्यप्रदेश विक्रय कर अधिनियम, उसके यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार माल एवं सेवा कर एवं अन्य करों का भुगतान बैंक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ के पक्ष में जिला यूनियन के मुख्यालय मे देय **या** RTGS / NEFT / Electronic Cash Transfer द्वारा संबंधित जिला यूनियन के परिशिष्ट–VI में दर्शित करों की राशि के प्रयोजन हेतु विहित बैंक खाते में करेगा ।

(III) क्रेता, जब तक उसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में छूट नहीं दे दी गई हो, आयकर अधिनियम 1961 तथा उसके यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार आयकर का भुगतान प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के पक्ष में, उनके मुख्यालय पर देय, किसी भी अनुसूचित बैंक के पृथक बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट या RTGS/NEFT / Electronic Cash Transfer के रूप में परिशिष्ट–V में दर्शित करों की राशि के प्रयोजन हेतु विहित बैंक खाते में करेगा। यथा स्थिति संघ को देय तेन्दूपत्ते के क्रय मूल्य या उसके भाग का तब तक भुगतान नहीं माना जाएगा, जब तक कि उस पर देय आयकर का भी पूर्णतः भुगतान नहीं कर दिया गया हो ।

8. **विक्रय प्रमाण पत्र जारी करना –**

संघ या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या वन मंडलाधिकारी क्रेता को तेंदूपत्तों के परिदान के पश्चात् मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1966 के अंर्तगत प्रावधानित प्रारूप ''ठ'' में उसका विक्रय प्रमाण– पत्र प्रदान करेगा ।

9. **करारनामे का अनुपालन –**

यदि पूर्वोक्त एवं निविदा सूचना में विनिर्दिष्ट परिदान तथा क्रय की शर्तों का पूर्णतः पालन/परिपालन नहीं किया जाता है, तो पत्तों को परिदत्त तथा क्रय किया गया नहीं समझा जावेगा ।

10. **प्रतिभूति निक्षेप –**

(**I**) क्रेता अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं इनके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के द्वारा या अधीन जहां तक कि वे इस करार के संदर्भ में लागू होते हों, उसके द्वारा किये जाने के लिए अपेक्षित समस्त कार्यों तथा कर्तव्यों को करने तथा निषिद्ध किये गये किसी कार्य के स्वयं द्वारा उसके सेवकों तथा अभिहस्तांकितियों द्वारा किये जाने से विरत रहने के लिए स्वयं को आबद्ध करता है और अपने द्वारा तथा अपने सेवकों तथा अभिहस्तांकितियों द्वारा इस करार के निबंधनों तथा शर्तों के सम्यक् पालन तथा अनुपालन किए जाने के लिए मुख्य वन संरक्षक के पक्ष में उसके द्वारा निविदा सूचना के प्रावधानों के अनुसार रूपये.................................. की राशि प्रतिभूति के रूप में नियमानुसार निक्षेपित की गई है ।

(**II**) यह प्रतिभूति निक्षेप, यथास्थिति या तो पूर्णतः या आंशिक रूप में वन मण्डलाधिकारी द्वारा अधिनियम, नियमावली, करारनामा तथा इन शर्तों के उपबंधों के अधीन क्रेता से वसूली योग्य किसी रकम, क्रय मूल्य सहित, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जा सकता है और समस्त ऐसी कटौतियों की पूर्ति क्रेता द्वारा इस आशय की सूचना जारी होने के 15 दिन के भीतर उतनी ही रकम जमा करके की जावेगी । एवं बकाया राशि की वसूली हेतु शर्त क्रमांक 7 के अनुसार कार्यवाही के साथ ही क्रेता के विरुद्ध अन्य विधि सम्मत कार्यवाही भी की जावेगी ।

(**III**) यदि क्रेता से वसूल की जाने वाली बकाया राशि प्रतिभूति निक्षेप की रकम से अधिक हो, तो अधिक होने वाली रकम, जब तक कि उसकी पूर्ति वन मण्डलाधिकारी को उस आशय की सूचना जारी होने के पन्द्रह दिन के भीतर न की जाये, भू–राजस्व के बकाया की बतौर वसूली के योग्य होगी एवं बकाया राशि की वसूली हेतु शर्त क्रमांक 6 के अनुसार कार्यवाही के साथ ही क्रेता के विरुद्ध अन्य विधि सम्मत कार्यवाही भी की जावेगी ।

(**IV**) प्रतिभूति निक्षेप या अवशेष राशि, जैसी भी स्थिति हो, वन मण्डलाधिकारी की संतुष्टि कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामे के समस्त निबंधनों एवं शर्तो, अधिनियम, नियमावली तथा निविदा सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरूद्ध शेष नहीं निकलती है, के पश्चात् अंतिम किश्त के विरूद्ध समायोजित की जावेगी । लाट की अधिसूचित मात्रा से अधिक पायी गई मात्रा का परिदान क्रेता द्वारा लेना होगा । उक्त अधिक मात्रा हेतु देय राशि, लाट के विक्रय मूल्य के आधार पर उसे भुगतान करना होगा । लाट का अंतिम परिवहन अनुज्ञा पत्र उसके द्वारा उक्त राशि भुगतान करने पर ही जारी किया जावेगा ।

(**V**) चूँकि क्रेता ने निविदा सूचना की शर्त क्रमांक 7 (**III**) के अंतर्गत एकल अनुबंध किया है, किसी एक विशिष्ट लाट से संबंधित प्रतिभूति निक्षेप की राशि तब तक रोक कर रखी जावेगी जब तक कि ऐसे एकल अनुबंध के अंर्तगत समस्त किश्तों का भुगतान न कर दिया गया हो तथा समस्त लाटों के स्टाक का परिदान न ले लिया गया हो तथा ऐसा निक्षेप वन मण्डलाधिकारी के स्वविवेक से उन सब लाटों के लिए देय किसी भी राशि के लेने के लिए उपयोग में लाया जा सकेगा जो कि ऐसे एकल अनुबंध के अंर्तगत हो तथापि ऐसा प्रतिभूति निक्षेप एकल अनुबंध के अंर्तगत आने वाले लाटों की देय अंतिम किश्त के विरूद्ध समायोजन योग्य होगा ।

11. **अधिनियम का उल्लंघन आदि –**

क्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि वह स्वतः एवं उसके प्राधिकृत/नियोजित किए गए प्रतिनिधि म.प्र. में प्रचलित सभी अधिनियमों एवं नियमावली का पालन करेगें । क्रेता अथवा उसके नियोजित व्यक्ति द्वारा इन अधिनियमों/नियमावलियों के उल्लंघन किए जाने की अवस्था में सम्बंधित अधिनियमों/नियमावलियों के अंतर्गत की जाने वाली दण्डनीय कार्यवाही के अतिरिक्त प्रबंध संचालक, संघ क्रेता का करारनामा समाप्त किए जाने की कार्यवाही भी कर सकेंगे ।

12. **शास्तियां –**

यदि क्रेता करार की किसी भी शर्त को भंग करें और यदि ऐसे भंग के कारण करार को समाप्त करना प्रस्तावित न हो तो जिला यूनियन के प्रबंध संचालक प्रत्येक भंग के लिए ऐसी शास्ति जो ₹ 2000/– (दो हजार) से अधिक न हो, अधिरोपित कर सकेगा । यदि शास्ति की राशि ₹1000/– (एक हजार) से अधिक हो, तो इस आदेश के विरूद्ध आदेश जारी होने के 30 दिन की अवधि के भीतर अपील मुख्य वन संरक्षक को की जा सकेगी, जिसका विनिश्चय अंतिम तथा बंधनकारी होगा ।

13. **क्रेता के करारनामे की समाप्ति –**

(I) यदि क्रेता प्रथम दो किश्तें तृतीय किश्त की देय तिथि के पूर्व या तृतीय किश्त चतुर्थ किश्त की देय तिथि के पूर्व या अंतिम किश्त उसकी देय तिथि के 15 दिन के अन्दर या अन्य कोई देय राशि अदा नहीं करता है या इस प्रलेख के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का अनुवर्तन करने में चूक करता है, तो ऐसे किन्हीं भी अधिकार तथा उपचारों पर जो मुख्य वन संरक्षक को प्राप्त हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मुख्य वन संरक्षक अपने विवेक पर इस करार को क्रेता को 15 दिन का नोटिस देकर एवं उसे सुनवाई का अवसर देकर समाप्त कर सकेगा और क्रेता का नाम तीन वर्ष तक की कालावधि के लिये काली सूची में दर्ज कर सकेगा ।

(II) करार की समाप्ति का आदेश क्रेता को व्यक्तिशः परिदत्त किया जावेगा या रजिस्टर्ड डाक/E-mail द्वारा भेजा जावेगा । करार की समाप्ति करार के समाप्त करने के आदेश के दिनांक से प्रभावी होगी ।

(III) करार की समाप्ति पर संघ, निम्नलिखित के लिए हकदार होगा:–

(अ) संपूर्ण प्रतिभूति निक्षेप की राशि को अधिहरित करने ।

(ब) गोदाम में रखे तेंदूपत्ते के स्कंध, जिसका भुगतान कर दिया गया है परन्तु परिदान नहीं लिया गया हो को संघ के पक्ष में अधिहरित करने ।

(स)(एक) गोदाम में रखे तेंदूपत्ते का, जिसके लिये देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा गोदाम में रखे तेंदूपत्ते के उस स्कंध का जो संघ के पक्ष में शर्त क्रमांक 13(III)(ब) के अधीन अधिहरित किया गया है का विक्रय करने और हानि की वसूली करने । ऐसी हानि क्रेता द्वारा कंडिका 6 के अंर्तगत प्रस्तुत बैंक गारंटी, यदि प्रस्तुत की गई हो, के नगदीकरण तथा साथ ही गोदाम में रखे तेंदूपत्ते, जिसके लिये देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा गोदाम में रखे तेंदूपत्ते, जो संघ के पक्ष में शर्त क्रमांक 13 (III)(ब) के अधीन अधिहरित किया गया है, के विक्रय से भी वसूली योग्य होगी । यदि लाट का पुनः विक्रय करारनामा समाप्ति के आदेश के उपरांत प्रथम निविदा/नीलाम में नहीं हो पाता है तो लाट का विक्रय मूल्य शून्य मानकर क्रेता से हानि वसूली की कार्यवाही की जावेगी । यदि पश्चातवर्ती निविदा/नीलाम में लाट का पुनर्विक्रय हो जाता है तो प्राप्त क्रय मूल्य का समायोजन हानि की राशि में किया जावेगा । यदि हानि की वसूली हो चुकी हो तो ऐसी दशा में प्राप्त क्रय मूल्य क्रेता को भुगतान कर दिया जावेगा परन्तु ऐसी राशि पर क्रेता को कोई ब्याज देय नहीं होगा । करारनामा समाप्त होने की दशा में प्रथम क्रेता से हानि की वसूली हेतु गणना निम्नानुसार की जावेगी :–

संबंधित निविदा/नीलाम से समस्त करों सहित संभावित प्राप्तियां (+) पुनः निर्वर्तन तक गोदाम, पर्यवेक्षण इत्यादि का व्यय (-) पश्चातवर्ती निविदा/नीलाम से समस्त करों सहित प्राप्तियां ।

(दो) इसके पश्चात् भी कोई हानि की वसूली शेष हो तो, ऐसी शेष हानि की राशि को भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने एवं बकाया राशि की वसूली हेतु शर्त क्रमांक 6 के अनुसार वसूली की कार्यवाही करने के साथ ही क्रेता के विरुद्ध अन्य विधि सम्मत कार्यवाही भी की जावेगी ।

(तीन) यदि ऐसे पुनः विक्रय पर लाट/लाटों (जो प्रयुक्त न हो उसे काट दे) के लिये देय राशि से अधिक राशि प्राप्त होती है तो, संघ पूर्ण राशि प्रतिधारित करने का हकदार होगा और क्रेता का उस पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा ।

(द) हानि की वसूली के लिये किये गये समस्त खर्चे एवं व्यय भी क्रेता से वसूल किये जावेंगे,

(ई) अधिरोपित की गई समस्त शास्तियां तथा निर्धारित क्षतिपूर्ति, जिसका भुगतान नहीं हुआ हो, भी क्रेता से वसूल किये जावेंगे ।

(IV) (अ) यदि करारनामा समाप्ति के उपरांत एवं पत्तों की पुनः विक्रय की कार्यवाही के पूर्व बकायादार क्रेता द्वारा संघ को देय समस्त धनराशि जिसमें देय राशि, विलंबित राशि पर 0.05% प्रति दिन की दर से ब्याज समस्त देयकर एवं उपकर, अधिरोपित शास्तियां तथा ₹ 10000/– प्रति लाट एवं इस पर देय कर की दर से पुर्नजीवन शुल्क आदि विशेष रूप से सम्मिलित होंगे, का पूर्ण भुगतान प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में कर दिया जाता है तो संघ के प्रबंध संचालक अपने स्वविवेक से उक्त करार को पुर्नजीवित कर सकेंगे और करार अवधि को आवश्यक होने पर बढ़ा सकेंगे तथा उपरोक्तानुसार समस्त देय राशि एवं पुर्नजीवन शुल्क के पूर्ण भुगतान के उपरांत ही तेंदूपत्ते के अपरिदत्त स्टाक का उसे परिदान कर दिया जाएगा। क्रेता को परिदान प्राप्त करने से पूर्व कंडिका–5(फ) में दर्शायें अनुसार गोदाम किराये, यदि पुर्नजीवित करार की अवधि करार अवधि की समाप्ति की मूल तिथि के आगे तक बढ़ती है, का भुगतान अग्रिम में करना होगा ।

(ब) यदि क्रेता शर्त क्रमांक 13(IV)(अ) में वर्णित सुविधा नहीं लेना चाहता है एवं लाट के अवशेष क्रय मूल्य के भुगतान की किश्तवार सुविधा प्राप्त करना चाहता है तो तो न्यूनतम प्रथम किश्त जमा करने के उपरान्त क्रेता के आवेदन पर संघ के प्रबंध संचालक यदि चाहें तो स्वविवेक से क्रेता को किश्तवार भुगतान की सुविधा दे सकेंगे एवं उक्त करार को पुनर्जीवित कर सकेंगे, परन्तु इस स्थिति में क्रेता को देय किश्त की तिथि से विलम्बित अवधि के लिये देय राशि समस्त देय कर, उपकर तथा अधिरोपित शास्तियों की राशि, पर 0.060% प्रतिदिन की दर से ब्याज एवं ₹ 10000/– प्रति लाट एवं इस पर देय कर की दर से पुर्नजीवन शुल्क देना होगा । पुनरीक्षित किश्तों की तिथियां तथा परिदान अवधि प्रबंध संचालक, संघ स्वविवेक से निर्धारित कर सकेंगे ।

(V) जब भी करार को पुनजीर्वित किया जाता है, तो समाप्ति के कारण अधिहरित प्रतिभूति निक्षेप स्वतः प्रत्यावर्तित हो जावेगी ।

(VI) तथापि यदि क्रेता का करारनामा समाप्त नहीं किया गया है एवं करार अवधि समाप्त हो चुकी है तो पत्तों की पुनः विक्रय की कार्यवाही के पूर्व क्रेता द्वारा संघ को देय समस्त धनराशि जिसमें देय राशि, ब्याज, समस्त देयकर एवं उपकर, अधिरोपित शास्तियां तथा ₹ 10000/– प्रति लाट एवं इस पर देय कर की दर से अवधि वृद्धि शुल्क एवं गोदाम किराये के रूप में करार अवधि समाप्त होने से प्रत्येक माह या उसके भाग के लिये ₹ 9/– प्रति वास्तविक बोरा की दर से राशि आदि विशेष रूप से सम्मिलित होंगे, का पूर्ण भुगतान कर दिया जाता है तो संघ के प्रबंध संचालक स्वविवेक से तेंदूपत्ता हटाने की अनुमति क्रेता द्वारा लिखित में आवेदन पत्र देने पर दे सकेंगे ।

14. लेखाओं का रख रखाव –

क्रेता ऐसे प्रपत्रों में ऐसे लेखा रखेगा, तथा ऐसी पाक्षिक विवरणियां ऐसी तिथियों को या उनके पूर्व प्रस्तुत करेगा जैसा जिला यूनियन के प्रबंध संचालक द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये जाए।

15. क्रेता के द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन –

क्रेता ऐसे समस्त कार्यों एवं कर्तव्यों, जो उसके द्वारा किये गये जाने के लिए अपेक्षित है, का निर्वहन करेगा और अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन निषिद्ध ऐसे कार्य जहां तक ये इस करार के संदर्भ में असंगत न हो, स्वयं के या उसके सेवकों या अभिकर्ताओं द्वारा किये जाने से प्रविरत रहेगा ।

16. स्कंध का बीमा –

(I) क्रेता करारनामा निष्पादित होने के बाद, संघ लाट/लाटों के स्वीकृत क्रय मूल्य के बराबर की राशि का बीमा, केवल निम्नानुसार आकस्मिकताओं से होने वाली हानि के लिए कराएगा– अग्नि, लाईटनिंग, एक्सप्लोजन, इमप्लोजन, इम्पेक्ट, हवाई दुर्घटनाएं, उपद्रव, हड़ताल, दुर्भावनाजन्य क्षति तथा स्पोनटेनियस कम्बश्चन ।

(II) (अ)**यदि क्रेता चाहे तो वह :–**

(i) अन्य प्राकृतिक अथवा अदृष्ट आपदाओं जैसे वर्षा, तूफान, बाढ़, बीमारी, भूकम्प या अन्य किसी भी कारण से होने वाली क्षति के लिए बीमा अपने स्वयं के व्यय पर करा सकेगा और इन कारणों से हुई हानि या क्षति के लिए संघ का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा ।

(ii) संघ के द्वारा कराए गऐ बीमा की राशि से उच्च राशि के लिए भी बीमा वह अपने स्वयं के व्यय पर करा सकेगा ।

(ब) ऐसी अधिक राशि अथवा उपरोक्त संदर्भित अन्य आपदाओं के लिए बीमा कराने की सूचना क्रेता को जिला यूनियन के प्रबंध संचालक को देनी होगी ।

(iii) यहां किये गये प्रावधान के अलावा संघ, किसी भी कारण से तेंदूपत्ते के स्टाक को हुई क्षति के कारण क्रेता को किसी प्रकार की हुई हानि या लाभ की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा । यदि तेंदूपत्ता की किसी भी मात्रा की क्षति होती है तो संघ केवल, उसके द्वारा की गई बीमा की राशि तक ही, अर्थात् क्रय मूल्य की सीमा तक ही क्षतिपूर्ति करने के दायित्वाधीन होगा और वह भी केवल उस स्थिति में जब ऐसी हानि, अग्नि, लाईटनिंग, एक्सप्लोजन, इमप्लोजन, इम्पेक्ट, हवाई दुर्घटनाएं, उपद्रव, हड़ताल, दुर्भावनाजन्य क्षति तथा स्पोनटेनियस कम्बश्चन अर्थात् उपरोक्त उप कंडिका (I) में दर्शित कारणों से हुई हो और यह भी कि यह क्षतिपूर्ति उस स्थिति में ही की जावेगी जबकि क्रेता ने क्रय मूल्य की राशि संघ को पटा दी हो, परन्तु उसने परिदान न लिया हो । यह प्रतिपूर्ति की राशि बीमा कंपनी से प्राप्त होने पर ही क्रेता को दी जाएगी ।

17. तेंदूपत्ता का परिवहन और अनुज्ञापत्र जारी करना –

क्रेता तेंदूपत्तों का परिवहन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये परिवहन अनुज्ञा पत्र के बिना जैसा कि अधिनियम और नियमावली में अनुध्यात है, नहीं करेगा ।

18. स्टाम्प शुल्क का भुगतान –

मध्यप्रदेश राज्य में लागू हुये रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और न्यायालय फीस अधिनियम 1870 और उनके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का सभी समयों पर क्रेता पालन करेगा ।

19. प्रथम प्रभार –

(एक) यथास्थिति क्रय मूल्य या उनकी अतिशेष ऐसी समस्त रकम, जो निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों तथा इस करार के निबंधनों तथा शर्तों, अधिनियम और नियमों के अधीन देय है, क्रेता द्वारा तेंदूपत्ता के लिए गये परिदान पर प्रथम प्रभार होगी ।

(दो) क्रेता तेंदूपत्तों का व्यापारी या बीड़ी बनाने के लिए उनका उपयोग या किसी अन्य प्रकार से उनका व्ययन तब तक नहीं करेगा, जब तक कि यह प्रभार पूर्णतः उन्मोचित न कर दिया जाये ।

20. न्यायालय की अधिकारिता –

इस करार के अधीन उद्भूत होने वाला कोई विवाद, मध्यप्रदेश न्यायालयों की अधिकारिता के अध्याधीन होगा ।

21. क्रेता के द्वारा क्रय किये गये लाटों का विवरण –

क्रेता के द्वारा क्रय किये गये लाटों का विवरण तथा किन दरों पर तेंदूपत्ता क्रय किया गया है, नीचे दिया गया है ।

(राशि ₹ में)

जिला यूनियन	लाट क्रमांक	समिति का नाम	मात्रा मा.बो.	क्रय दर प्रति मा.बो.	क्रय मूल्य
1	2	3	4	5	6

माल एवं सेवा कर	आयकर	अन्य कर	योग	
7	8	9	10	

जिसके साक्ष्य में, इसमें उपर लिखित दिनांक तथा सन् को मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक ने यहां अपने हस्ताक्षर किये हैं तथा अपने कार्यालय की सील लगाई है और ऊपर नामित क्रेता (क्रेताओं) ने अपने/उनके अपने–अपने हस्ताक्षर किये हैं ।

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में मुख्य वन संरक्षक एवं संघ के पदेन महाप्रबंधक द्वारा हस्ताक्षर किये गये, सील लगाई गई और परिदत्त किया गया ।

साक्षीगणः–

1. ....
(हस्ताक्षर) मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा उनकी ओर से
नाम एवं डाक का पूरा पता

2. ....
(हस्ताक्षर) मुख्य वन संरक्षक एवं संघ के पदेन महाप्रबंधक
नाम एवं डाक का पूरा पता ....वृत्त

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में ऊपर नामित क्रेता द्वारा हस्ताक्षर किये गयेः–

साक्षीगणः–

1. .... क्रेता/क्रेताओं के हस्ताक्षर
(हस्ताक्षर) नाम–.................................
नाम एवं डाक का पूरा पता डाक का पता–.......................

2. ....
(हस्ताक्षर)
नाम एवं डाक का पूरा पता

Annexure-V
(परिशिष्ट–V)
Bank Details

(जिला यूनियन कार्यालय में इलेक्ट्रानिक कैश ट्रांस्फर (NEFT/RTGS/Net Banking) के माध्यम से राशि जमा करने हेतु खातों की जानकारी)

क्रं.	जिला यूनियन	किश्त, गोदाम किराया, अन्य शुल्क एवं ब्याज आदि जमा करने हेतु बैंक खाता			केवल माल एवं सेवा कर (GST) एवं आयकर (TCS) जमा करने हेतु बैंक खाता		
		बैंक का नाम	IFSC	खाता क्रमांक	बैंक का नाम	IFSC	खाता क्रमांक
1	N.BALAGHAT	ICICI Bank	ICIC0001857	185705500282	Axis Bank,	UTIB0001170	919020040049479
2	S.BALAGHAT	ICICI Bank	ICIC0001857	185705005929	Axis Bank,	UTIB0001170	916010027551249
3	BHOPAL	ICICI Bank	ICIC0001189	118905500409	ICICI Bank,	ICIC0001189	119301000522
4	O'GANJ	CBI	CBIN0281021	1925249201	C.B.I.,	CBINO281021	1925249198
5	RAJGARH	ICICI Bank	ICIC0000766	076605500157	SBI,	SBIN0030004	53034200316
6	RAISEN	ICICI Bank	ICIC0000947	094705500245	SBI,	SBIN0030232	53018083134
7	SEHORE	HDFC Bank	HDFC0001776	50200054559949	Kotak Mahendra, Bank	KKBK0005923	6013299806
8	VIDISHA	PNB	PUNB0088700	0887002100019233	SBI,	SBIN0030075	63017939828
9	N.BETUL	ICICI Bank	ICIC0000943	259105500064	Kotak Mahendra, Bank	KKBK0005944	4145365994
10	S.BETUL	ICICI Bank	ICIC0000943	042705500216	IDBI	IBKL0001553	1553104000039561
11	W.BETUL	ICICI Bank	ICIC0000943	259105500063	SBI,	SBIN0030236	63016638437
12	E.CHHINDWADA	ICICI Bank	ICIC0000511	051105500349	Axis Bank,	UTIB0000670	916010051235889
13	S.CHHINDWADA	ICICI Bank	ICIC0000511	051105500348	SBI,	SBIN0005940	63024943199
14	W.CHHINDWADA	ICICI Bank	ICIC0000511	051105500347	SBI,	SBIN0005940	63024943495
15	CHHATARPUR	ICICI Bank	ICIC0000426	042605500315	HDFC, Bank	HDFC0001770	50200003298091
16	N.PANNA	ICICI Bank	ICIC0002597	259705500129	Axis Bank,	UTIB0002882	920010065085725
17	S.PANNA	ICICI Bank	ICIC0002597	259705500128	ICICI Bank,	ICIC0002597	259701000640
18	TIKAMGARH	ICICI Bank	ICIC0001450	145005500450	HDFC, Bank	HDFC0001781	17811450003284
19	GWALIOR	ICICI Bank	ICIC0000197	019705500899	SBI,	SBIN0030258	63016208732
20	MORENA	CBI	CBIN0280781	1342102202	SBI,	SBIN0000430	31592458409
21	SHEOPUR	ICICI Bank	ICIC0001448	144805500137	SBI,	SBIN0030089	63016861613
22	HARDA	ICICI Bank	ICIC0000761	042705500217	SBI,	SBIN0030225	53024963109

23	H'BAD	**ICICI Bank**	ICIC0000381	038105500192	**SBI,**	SBIN0030226	63016631634
24	ALIRAJPUR	**HDFC Bank**	HDFC0002107	50100391840671	**SBI,**	SBIN0030047	31767233625
25	DHAR	**ICICI Bank**	ICIC0000512	051205500116	**SBI,**	SBIN0003417	63001608022
26	INDORE	**ICICI Bank**	ICIC0000916	091605500645	**SBI,**	SBIN0030359	63017773452
27	JHABUA	**SBI,**	SBIN0030241	53031692729	**SBI,**	SBIN0030241	63017764506
28	DINDORI	**SBI,**	SBIN0030452	53051425012	**SBI,**	SBIN0030452	63046069405
29	E.MANDLA	**ICICI Bank**	ICIC0001443	144305500155	**Bank of Maharashtra,**	MAHB0000788	20222024703
30	JABALPUR	**ICICI Bank**	ICIC0003497	734505500001	**P.N.B,**	PUNB0021800	0218000100868844
31	KATNI	**ICICI Bank**	ICIC0000763	076305500321	**Axis Bank,**	UTIB00000317	916010037455429
32	W.MANDLA	**ICICI Bank**	ICIC0001443	144305500154	**HDFC Bank,**	HDFC0002713	50100255600803
33	BADWAHA	**ICICI Bank**	ICIC0002823	094405500250	**SBI,**	SBIN0030029	53028183079
34	BADWANI	**ICICI Bank**	ICIC0000490	051205500117	**SBI,**	SBIN0030030	63017730917
35	BURHANPUR	**PNB**	PUNB0007400	0074000100180775	**SBI,**	SBIN0030006	63017532020
36	KHANDWA	**ICICI Bank**	ICIC0000944	094405500249	**SBI,**	SBIN0030102	63017754917
37	KHARGONE	**ICICI Bank**	ICIC0000867	086705500425	**SBI,**	SBIN0030027	63016802862
38	SENDHWA	**ICICI Bank**	ICIC0006583	658301700155	**SBI,**	SBIN0030032	53022306009
39	E.SIDHI (Singroli)	**ICICI Bank**	ICIC0001390	139005000852	**PNB,**	PUNB0660330	6603000100067131
40	REWA	**ICICI Bank**	ICIC0000937	094805003577	**IDBI**	IBKL0000423	0423102000015978
41	SATNA	**ICICI Bank**	ICIC0000432	043205003012	**IDBI Bank,**	IBKL0000422	0422104000236461
42	W.SIDHI	**ICICI Bank**	ICIC0000513	051305001618	**HDFC Bank,**	HDFC0001779	50100087789081
43	ANUPPUR	**CBI**	CBIN0281970	2238299584	**C.B. I.,**	CBIN0281970	2238298138
44	N.SHAHDOL	**HDFC Bank**	HDFC0001778	50100388535506	**HDFC Bank**	HDFC0001778	17781450000021
45	S.SHAHDOL	**HDFC Bank**	HDFC0001778	50100388535101	**C.B. I.,**	CBIN0280787	1424254152
46	UMARIA	**HDFC Bank**	HDFC00004136	50100176362325	**SBI,**	SBIN0012192	63017967108
47	NARSINGHPUR	**ICICI Bank**	ICIC0000764	076405500212	**IDBI Bank,**	IBKL0001558	1558104000070586
48	N.SEONI	**ICICI Bank**	ICIC0000993	099305500133	**HDFC Bank,**	HDFC0001777	17771450000030
49	S.SEONI	**ICICI Bank**	ICIC0000993	099305500134	**IDBI Bank,**	IBKL0001561	1561104000038508
50	DAMOH	**ICICI Bank**	ICIC0000758	075805500188	**Axis Bank,**	UTIB0000770	920020072372390
51	N.SAGAR	**ICICI Bank**	ICIC0000949	094905500518	**SBI,**	SBIN0030179	63016274750
52	S.SAGAR	**ICICI Bank**	ICIC0000949	094905500519	**Axis Bank,**	UTIB0000612	920010039134266

53	ASHOK NAGAR	**HDFC Bank**	HDFC0001944	50100392887650	**SBI,**	SBIN0030082	53023367211
54	GUNA	**HDFC Bank**	HDFC0000911	50100385221200	**HDFC. Bank**	HDFC0000911	50100163379387
55	SHIVPURI	**HDFC Bank**	HDFC0000907	50200054539754	**SBI,**	SBIN0030086	53037050693
56	DEWAS	**ICICI Bank**	ICIC0000759	075905003276	**SBI,**	SBIN0030007	63017740336
57	NEEMUCH	**ICICI Bank**	ICIC0000765	076505500388	**SBI,**	SBIN0030055	63016811822
58	RATLAM	**ICICI Bank**	ICIC0006582	658205500134	**SBI,**	SBIN0030051	63017732392
59	SHAJAPUR	**HDFC Bank**	HDFC0004784	50100384370767	**SBI,**	SBIN0030067	63016559270
60	UJJAIN	**ICICI Bank**	ICIC0002541	254105500135	**SBI,**	SBIN0030108	63017794122

* उपरोक्त जिला यूनियनों के बैंक खाता की पुष्टि संबंधित जिला यूनियन कार्यालय से करने के पश्चात राशि हस्तांतरित करें ।

Annexure – VI

परिशिष्ट–**VI**

(Fill whichever is applicable RTGS / NEFT / Net Banking)

संघ मुख्यालय में जमा राशि के समायोजन हेतु आवेदन

प्रति,

PTN							

प्रबंध संचालक,
म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ,
भोपाल

विषय :– संग्रहण वर्ष .... के लाट कमांक .... समिति का नाम ....की RTGS/ NEFT / I-Collect / Net Banking के माध्यम से राशि जमा (Payment) करने बाबत् ।

महोदय,

निवेदन है, कि दिनांक .... की निविदा /नीलाम में संग्रहण वर्ष .... के निम्न लाटों की देय किश्त/किश्तों/ब्याज/गोदाम किराया/Security Deposit **/** LotTransfer Fee आदि बाबत राशि ₹.......... .... संघ के निम्न खाते में दिनांक ....को Transfer की गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैं:–

संघ के बैंक का नाम.. A/c. No ....
हमारे बैंक का नाम..A/c. No ....

माध्यम – RTGS / NEFT / I-Collect / Net Banking

कमांक	जिला यूनियन	लाट कमांक	जमा की गई राशि	**GST**	विवरण
		योग ₹			

उपरोक्त जमा राशि के संबंध में समायोजन पत्र जारी कर संबंधित जिला यूनियन को सूचित करने का कष्ट करें ।

संलग्न :– Bank Advice (Bank Slip)

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक :–

नाम ....

पत्राचार का पूर्ण पता ....
....
....

दूरभाष कमांक ....

''अथवा''

(Fill whichever is applicable cheque / DD)

प्रति,

PTN							

प्रबंध संचालक,
म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ,
भोपाल

विषय :– संग्रहण वर्ष .... के लाट कमांक .... समिति का नाम .... की Demand Draft/ Banker's Cheques के माध्यम से **राशि जमा** (Payment) करने बाबत् ।

महोदय,

निवेदन है, कि हम संग्रहण वर्ष .... के निम्न लाटों की देय किश्त/किश्तों/ब्याज/गोदाम किराया/ EMD की राशि बाबत निम्नानुसार राशि जमा कर रहें हैं :–

कमांक	जिला यूनियन	लाट कमांक	राशि	**GST** विवरण	
		योग			

संलग्न Bank Draft/ Bankers Cheque का विवरण :–

कमांक	राशि	**Bank Draft/ Bankers Cheque No.**	दिनांक	बैंक का नाम व शाखा
योग ₹				

उपरोक्त जमा राशि के संबंध में Money Receipt जारी कर संबंधित जिला यूनियन को सूचित करने का कष्ट करें ।

संलग्न :– Demand Draft /Cheque

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक :–

नाम ....

पत्राचार का पूर्ण पता ....

....

दूरभाष कमांक ....

Annexure – VII

परिशिष्ट- **VII**

(Annexure to Tender Notice dated 31-07-2026)

TENDU PATTA TENDER FOR CANCEL LOTS
(M.P.LAGHU VANOPAJ SANGH)

TENDERER WISE ALLOTMENT LIST

(Condition 7 of Tender Notice)

Tender Opening Date : …………………….

Permanent Tenderer Number	Tenderer’s Name	Tenderer's Purchase Capacity/ E.M.D. (In Rs.)	Lot No.	Quantity (In Std. bags)	Sanctioned Rate per Std. Bag (In Rs.)	Total Value of Lot (Rs.)

Annexure – VIII

परिशिष्ट– **VIII**

(Annexure to Tender notice dated 31-07-2026**)**

TENDU PATTA TENDER FOR CANCEL LOTS
(M.P.LAGHU VANOPAJ SANGH)

LIST OF SUCCESSFUL TENDERERS

(Condition 7 of Tender Notice)

Tender Opening Date : …………………….

S.No.	Permanent Tenderer Number	Tenderer's Name	Deposited E.M.D. (In Rs.)	Adjusted E.M.D. in Sanctioned Lots (In Rs.)	Unadjusted E.M.D. to be Refunded (In Rs.)

Annexure – IX

परिशिष्ट– **IX**

(Annexure to Tender Notice dated 31-07-2026**)**

TENDU PATTA TENDER FOR CANCEL LOTS
(M.P.LAGHU VANOPAJ SANGH)

LIST OF UNSUCCESSFUL TENDERERS

(Condition 7 of Tender Notice)

Tender Opening Date : …………………….

S.No.	Permanent Tenderer Number	Tenderer's Name	Deposited E.M.D. to be Refunded (In Rs.)

Annexure – X

परिशिष्ट– **X**

Instructions for the Submission of the Online Tender

(Condition 5(III) of Tender Notice)

Note: The following steps need to be carried out for online submission of the Tender. Detailed instructions for each of the steps are given in the Tenderer's Manual on the Home Page of https:// mpmfpfedtendrs.abcprocure.com/EPROC/

1. **Sequence of steps for online tender submission:**

   Step 1 – To obtain Digital Signature Certificate (DSC) :

   The DSC is issued by an approved certifying authority, authorized by the Controller of Certifying Authorities (CCA), Government of India. The individual may obtain information required for issuance of a Class II / Class III DSC from the Controller of Certifying Authorities *(www.cca.gov.in).* The tenderer will have to obtain DSC from https:// mpmfpfedtendrs.abcprocure.com/EPROC/ or any other CCA approved agency.

   DSC is issued upon receipt of mandatory identity proofs and verification letters attested by a Gazetted Officer. Only upon the receipt of the required documents, a DSC can be issued. Generally the processing of DSC takes 7-8 working days.Hence it should be submitted well in advance.

   Important Note: The offers submitted online should be signed electronically with a DSC to establish the identity of the tenderer. In case, during the process of a particular tender, the user loses his/her DSC (eg. due to virus attack, hardware problem, operating system problem etc.) he may not be able to submit the offer online. Hence the users are advised to back up the certificate and keep the copies at safe places under proper security to be used in case of emergencies.

   In case of online tendering, the DSC issued to the authorized user of a firm and used for electronic tendering will be considered equivalent to no-objection certificate / power of attorney to that user. The firm has to authorize a specific individual via an authorization certificate signed by all partners to use the DSC as per Indian *IT Act 2000*. Unless the certificate is revoked, it shall be assumed to represent adequate authority

of the user to submit tender on behalf of the firm for the Madhya Pradesh State Minor Forest Produce (Trading & Development) Co-op. Federation Limited (M.P.M.F.P. Federation) tenders as per *Information Technology Act 2000.* The DSC of this authorized user will be binding on the firm. It shall be the responsibility of management / partners of the registered firm to inform the Certifying Authority or Sub-Certifying Authority, if the authorized user changes, and apply for a fresh digital certificate and issue a fresh ***'authorization certificate'*** for the new user.

The same procedure holds true for the authorized users in a Private / Public company. In this case, the authorization certificate will have to be signed by the directors of the company.

Step 2 – Online registration of intending tenderer:

In order to participate in the tender, the tenderer is required to be registered on the e-Procurement portal (https:// mfpfederation.abcprocure.com). Only after online registration of the tenderer, the tenderer shall be allowed to participate in the tenders floated by the M.P.M.F.P. Federation using the e-Procurement System.

The following Registration Fee will be charged by the Service Provider (i.e. e-Procurement Technologies Limited) from the tenderer:

Sr. No.	Description	Charges	Goods & Service Tax @ 18%	Total Amount
1.	Online Registration (Valid for One Year)	NIL	NIL	NIL

Note: Registration is valid within the particular state and for the particular service-provider only.

Documents required for Registration with the e-Procurement portal

(I) In case of Renewal – No documents required for renewal of registration on the e-procurement portal.

(II) In case of New Registration – The following documents required alongwith online registration form:-

(a) Individual or Proprietorship Firm –

(i) Any one ID Proof and One Address Proof (Attested by Banker or Notary or Gazetted Officer as well as Self Attested)

ID Proof	PAN Card	**Address Proof**	Electricity Bill
	Passport		Passport
	Voter ID		Voter ID
	Driving License		Driving License
			Bank Pass Book

(ii) Scanned copy of Registration Under Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam 1964 from D.F.O. of Madhya Pradesh

(b) Partnership Firm –

(i) Any one ID Proof and One Address Proof (Attested by Banker or Notary or Gazetted Officer as well as Self Attested)

ID Proof	PAN Card	**Address Proof**	Electricity Bill
	Passport		Passport
	Voter ID		Voter ID
	Driving License		Driving License
			Bank Pass Book

(ii) Scanned copy of Registration Under Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam 1964 from D.F.O. of Madhya Pradesh.

(iii) Partnership Deed details which have to be attested by partners with their company seal.

(c) Pvt. & Ltd. Company –

(i) Any one ID Proof and One Address Proof (Attested by Banker or Notary or Gazetted Officer as well as Self Attested)

ID Proof	PAN Card	**Address Proof**	Electricity Bill
	Passport		Passport
	Voter ID		Voter ID
	Driving License		Driving License
			Bank Pass Book

(ii) Scanned copy of Registration under Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam 1964 from D.F.O. of Madhya Pradesh.

(iii)Any one of the Organization proof issued by Government (Attested by authorized signatory of Organization alongwith organization seal)

- **Certificate of Incorporation**
- **Articles of Incorporation**
- **Memorandum of Association**

(d) Hindu Undivided Family (H.U.F.) –

(i) Any one ID Proof and One Address Proof (Attested by Banker or Notary or Gazetted Officer as well as Self Attested)

ID Proof	PAN Card	**Address Proof**	Electricity Bill
	Passport		Passport
	Voter ID		Voter ID
	Driving License		Driving License
			Bank Pass Book

(ii) Scanned copy of Registration Under Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam 1964 from D.F.O. of Madhya Pradesh .

Scanned copy of all required documents for New registration submitted by the intending tenderer to e-Procurement Technologies Limited (abcProcure) for registering with e-Procurement portal. After verification of the documents submitted by the intending tenderer by the Service Provider registered the Tenderer and inform the the tenderer by e-mail.

After obtaining the Digital Certificate successfully installed on their system, the tenderer have to be online registered through **“New Bidder Registration”** page of the e-Procurement portal (https://mfpfederation. abcprocure.com) and mapped their Digital Certificate.

After online registration your registration will be approved by the Service Provider and intimate the same to the tenderer. The tenderer will be advised of the Tenderer’s Code, login Id & password. The login Id and password will be required for online tender preparation and the Tenderer’s Code will be used for making EMD payment through RTGS/NEFT mode, if opted for.

Step 3 – Online tender preparation

1. Filling of Tenderer’s Information - Form No. 1 of Annexure – II
2. Filling of Lotwise Rate Offer - Form No. 2 of Annexure – II
3. Upload of required documents - Form No. 3 of Annexure – II
4. Acceptance of Tenderer’s Agreement - Annexure – III

Step 4 – Online payment of E.M.D.

EMD can be paid online through Net-banking/Debit Cards/Credit Cards/RTGS/NEFT mode. In case, RTGS/NEFT mode is opted for, the detailed procedure is given below at point no. 2.2.

It will be solely the tenderer’s choice to select any of these payment options viz. Net-banking/Debit Cards/Credit Cards/RTGS/NEFT, best suited to him. It is understood that the tenderer is aware of the payment cycle and other technical requirements/ payment process under each of these modes. It is tenderer’s responsibility to see that the amount of EMD is credited to M.P.M.F.P. Federation.

2. Other Information:

2.1 Set-up of Machine:

In order to operate on the e-Procurement System, following minimum operating system and hardware is required.

- Windows XP with service pack 3
- Windows vista / windows 7

- Browser Internet Explorer 7, 8 or 9
- Minimum bandwidth 512 kbps
- Minimum RAM 2 GB

2.2 Procedure of payment of EMD through RTGS / NEFT mode :

Since RTGS / NEFT payments are settled by RBI in batches, intended EMD amount is required to be paid at least one day in advance of online tender submission by following procedure:

A. Please mention the following details while making the RTGS / NEFT payment from your Bank:

(i) Beneficiary account number – This will be in the following format:

<MPMF+ Tenderer Code>

For example, in case your Tenderer Code is ABC66215, the beneficiary account number will be **MPMFABC66215**.

(ii) Beneficiary bank branch - **ICICI Bank, CMS, Mumbai**

(iii) Beneficiary IFSC code - **ICIC0000104**

B. After completing the online tender preparation formalities, select RTGS / NEFT payment option at the EMD payment screen. Upon doing so, you shall be able to view the funds already remitted by you through NEFT / RTGS as available balance in beneficiary account. Tenderer should note that available balance against their name in ICICI Bank is not E.M.D. amount available with M.P..M.F.P. Federation.

C. Please proceed to deposit the E.M.D from available balance. Upon doing so, the required amount to be paid for the EMD, shall get appropriately deducted from the amount remitted and payment of E.M.D. shall be confirmed & receipt will be generated in real time.

D. In case there is excess remittance i.e. money not transferred for use as E.M.D., the refund of the same can be claimed by the tenderer simultaneously. On submitting refund request, the amount would be transferred in the bank account opted by you by next working day.

E. In case, tenderer wants to utilize the excess fund (i.e. the remaining available balance) for participating in next round of tender by Federation under e-Procurement portal, they may do so instead of taking refund.

Please feel free to get in touch with our e-procurement support team / ICICI Bank support team in case any clarification is required.

2.3 Submission of Online Offers:

M.P.M.F.P. Federation will not be responsible for any failure on part of the tenderer in submission of the Tender and/or the EMD etc. before scheduled time and date, for any reason whatsoever, including, inter-alia, non-credit of said amounts of EMD and therefore no claims shall be entertained on these grounds.

Under this online payment system for e-Tendering, the tenders will not be submitted/ received by M.P.M.F.P. Federation unless the EMD is received/

credited before scheduled time and date. Hence, tenderer shall remit the said amount well in advance. It is clarified that the Tenders will not be considered for opening if EMD is not received/ credited before schedule time and date, for any reason whatsoever.

Since the Federation is migrated to online tendering system for Advance sale of Tendu Leaves, the tenderer is advised to submit his/her tender as well as pay the EMD amount well before the cut-off time and date to avoid any inconvenience on account of any problem e.g. system slow down or network problem.

2.4 Helpline:

For any assistance regarding Registration on e-Procurement portal, DSC, online tender form submission and other points of e-tendering process, please contact our service provider **:-**

e-Procurement Technologies Ltd., ***Ahmedabad on following contact details***
For Registration
Phone No. : **+91-9099090830**
E-mail : info@abcprocure.com

For e-Tender submission

Phone No. : **+91- 7859800624 6352631766, 9081000427, 7859800621, 7859800609**
E-mail : Support@abcprocure.com

For E-payment related queries
E-mail : payment@eptl.in (With relevant Scren Shot & details

For any assistance regarding banking transactions, please contact ICICI Bank, New Market, Bhopal at the following number: Mr. Kashish Bammankar +918655758294
E-mail ID : kashish.bammankar@icicibank.com

(Kamlika Mohanta)
MANAGING DIRECTOR
M.P. State Minor Forest Produce
(Trading & Development) Co-op.
Fed. Ltd., Bhopal

Annexure – XI
परिशिष्ट– XI

(Annexure to Tender Notice dated 31-07-2026)

Tender Details for Sale of Tendu Leaves Lots
(Condition 5(III) of Tender Notice)

Tender Detail	
General Detail	
Tender Id :	**System Generated**
Tender No :	**Dated 31**-07-2026
Department Name :	Madhya Pradesh State Minor Forest Produce (Trading & Development) Co-operative Federation Limited
Scope of work :	Sale of Departmently collected in season 2025 & 2026 and 2025 season Cancel Lots (Open for those who registered in Divisional Forest Office under Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam 1964)
Tender Details :	Sale of Departmently collected in season 2025 & 2026 and 2025 season Cancel Lots (Open for those who registered in Divisional Forest Office under Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam 1964)
Mode of Tender Submission :	Online
Tender Type :	Open
Type of Contract :	Sale of Tendu Leaves
Bidding Type :	National
Consortium :	Not Allowed
Download Tender Documents :	Before Login / After Login
Purchaser Location :	Any where in India
Key Dates	
Document Download Start Date & Time :	18.08.2026 from 11:00:00
Document Download End Date & Time :	20.08.2026, upto 15:00:00
Last Date & Time of online Bid Submission :	20.08.2026, upto 15:00:00
Date & Time of Bid opening :	20.08.2026, from 15:30:00 onwards
Bid Validity Period (Days) :	Till the decision of tender

Project Duration :	As per tender document
Document to be submitted Physically :	NIL
Tender Activity configuration	
Mode of EMD payment :	**Online**
Payment Details	
EMD Amount :	As per tender document
Details	
Eligibility Criteria :	As per tender document
General Terms and condition :	As per tender document
Other Details :	As per tender document
Product/Service/Works Keywords :	Sale of Departmently collected in season 2025 & 2026 and 2025 season Cancel Lots

Annexure-XII

परिशिष्ट– XII

(Annexure to Tender notice dated 31-07-2026)

घोषणा पत्र

मै/हम/मेसर्स ....
आत्मज/आत्मजा .... उम्र ....रहवासी ....
.... जिला...................................... राज्य ....
.... द्वारा घोषित किया जाता है, कि मै/हम/मेसर्स ....
...., मध्य प्रदेश शासन वन विभाग तथा संघ का बकायादार नहीं है । यदि मेरी/हमारी कोई बकाया राशि निकलती है, तो उसके लिये मै जिम्मेदार हॅू और संघ ऐसी किसी भी बकाया राशि को इस निविदा में मेरे द्वारा जमा सत्यंकार की राशि एवं मेरी पूर्व की संघ में जमा अन्य राशि से वसूल की जाये ।

मैं यह भी घोषित करता हूॅ कि मैं / हम / मेसर्स .... मध्य प्रदेश शासन वन विभाग तथा संघ की काली सूची में दर्ज नहीं हूॅ/हैं जो निविदा जमा करने की तिथि को प्रचलित अथवा लागू है।

हस्ताक्षर

दिनांक

मालिक/अधिकृत के
हस्ताक्षर
(मुद्रांक के साथ)